[2022] 14 एस. सी. आर. 591

एम/एस। M.S.P.L. सीमित

वी.

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं. 4678 2021 का)

11 अक्टूबर, 2022

[हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहणः

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966:

एसएस। 3 (1) , 1 (3) और 28 (1)-कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा दो कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण, अपीलार्थी

लौह अयस्क की स्थापना के लिए कंपनी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

संयंत्र यू/एस. एस. अधिसूचना जारी करना। 1 (3) , 3 (1) भूमि अधिग्रहण के लिए 1966 के अधिनियम की धारा 28 (1)-भूमि मालिकों से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

यू/एस। 28 (3) 1966 का अधिनियम-आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया-उसके बाद, यू/एस अधिसूचनाएँ। 28 (4) 1966 का अधिनियम कुल क्षेत्र के लिए जारी किया गया था।

अपीलार्थी कंपनी द्वारा आवश्यक-इसी तरह की अधिसूचनाएँ जारी की गई थीं

सहायक कंपनी के लिए आवश्यक भूमि के लिए-क्षतिपूर्ति भी निर्धारित की जाती है-रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं जो इसे रद्द करने की मांग करती हैं।

अधिग्रहित 90 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करने वाले भूमि मालिकों ने स्वीकार किया क्षतिपूर्ति-केवल 10 प्रतिशत या उससे कम भूमि मालिकों के पास थी

उक्त रिट याचिकाएँ दायर की गईं-अनुदान यू/एस. एस. को भी चुनौती दी गई। 1 (3) और 1966 के अधिनियम के 3 (1)-एकल न्यायाधीश ने सभी को खारिज कर दिया

भूमि मालिकों द्वारा दायर याचिकाएं हालांकि, डिवीजन बेंच ने पूरे क्षेत्रों के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया जो था

चुनौती भी नहीं दी गई-यू/एस. एस. द्वारा जारी अधिसूचनाओं को भी रद्द कर दिया।

1 (3) , 3 (1) और 1966 के अधिनियम की 28 (1)-अपील अपील पर, अभिनिर्धारित-प्रभाग

पीठ ने अधिग्रहण कार्यवाही-कर्नाटक उद्योग (सुविधा) अधिनियम, 2002 को रद्द करने में गलती की।

पर्यावरण मंजूरी के अभाव में भूमि अधिग्रहण -

पर्यावरण मंजूरी, जिसके अभाव में भूमि कर सकती थी संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहित नहीं किया गया है-आयोजितः कोई आपत्ति नहीं

यह उठाया जा सकता है कि कोई पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पर्यावरण और वन मंत्रालय से इसे पहले ही 23.09.2016 पर जारी किया जा चुका है।

भूमि अधिग्रहण, यदि विवेक का उपयोग न करने के कारण दूषित किया जाता है और

सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुचित जल्दबाजी-आयोजितः दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने वाली याचिकाओं में कोई आधार नहीं उठाया गया और न ही कोई आधार रखा गया-2002 के अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से 2002 के अधिनियम के तहत गठित उच्च स्तरीय समितियों द्वारा एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करना था-विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और सिफारिशों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी देखा गया है-पाया गया है कि मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है और परियोजना के समग्र पहलुओं पर एक सचेत निर्णय लिया गया है

और प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

एस. 3 (1) , 1 (3) , 28 (1) - भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित प्रक्रिया

के तहत-उचित रूप से पालन किया गया या नहीं-आयोजितः पूरी प्रक्रिया जैसा कि प्रदान किया गया है

अधिनियम के तहत सख्ती से पालन किया गया है-विवादित फैसले में खंड पीठ स्पष्ट रूप से धारणाओं के आधार पर अपने व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित थी और इसका कोई भौतिक समर्थन नहीं था जिसके कारण अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया।

भूमि.

एसएस। 28 , 41- विशेष मामलों में भूखंडों का आवंटन -

एकल कंपनी के लिए अधिग्रहण, यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कहा जा सकता है और 1966 अधिनियम के तहत किया जा सकता है-आयोजितः इसके तहत

एक उद्योग स्थापित करने के लिए एक ही कंपनी को आवंटन के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण करने पर विचार करता है-तत्काल मामले में, द्वारा आवंटन बोर्ड राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

अधिनियम के तहत एक गैर-आवेदक कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण,

इसके आवेदन को राज्य उच्च स्तरीय मंजूरी समिति के माध्यम से भेजे बिना-की अनुमति-आयोजितः गैर-आवेदक कंपनी आवेदक कंपनी की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है-केवल आवेदक द्वारा मांगे गए परिवर्तन में एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना गैर-आवेदक द्वारा की जानी चाहिए जो इसकी अपनी सहायक कंपनी थी-ये वाणिज्यिक मामले हैं और राज्य ने अपने विवेक में परिवर्तन के प्रस्ताव की जांच करने के बाद इसे स्वीकार कर लिया-वित्त, रोजगार और अन्य बुनियादी ढांचे के संबंध में परियोजना में कोई बदलाव नहीं किया गया था-इस प्रकार, उक्त आपत्ति बनाए रखने योग्य नहीं थी।

एम/एस। M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

श्री रामतनु कूप पर भरोसा। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम राज्य

इस प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र का मामला कि 1966 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 के समान था और इस प्रकार, अधिग्रहण केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए न कि किसी निजी कंपनी के लिए -

आयोजित किया गयाः श्री रामतनु के मामले में 1962 के अधिनियम की वैधता पर विचार किया जा रहा था-हालाँकि, वर्तमान मुकदमे में, कोई नहीं है

1966 के अधिनियम या 2002 के अधिनियम की वैधता को चुनौती-1962 के अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए था, जबकि अन्य क़ानून यानी 1966 के अधिनियम में, यह उद्योगों की स्थापना और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए था-इस प्रकार, श्री रामतनु के मामले में विवादित निर्णय में खंड पीठ द्वारा निर्भरता गलत है-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962।

नीतिगत दृष्टिकोण के मूल्य निर्णय -

यदि उच्च न्यायालय द्वारा नीतिगत विचारों के मूल्य निर्णयों को शामिल करने के कारण दूषित किया जाता है, तो विवादित निर्णय में निष्कर्ष निकाले गएः डिवीजन बेंच ने कई मूल्य निर्णय पेश किए

और 1966 के अधिनियम और 2002 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए नीतिगत विचार-ऐसे मूल्य निर्णय और नीतिगत विचार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं-न्यायालयों को कानूनों की व्याख्या करने के लिए मूल्य निर्णय और नीतिगत विचार व्यक्त करने से बचना चाहिए।

के एक अंश द्वारा भूमि अधिग्रहण को रद्द करने के लिए याचिका

अधिग्रहित भूमि का एक अंश रखने वाले भूमि मालिक जो कुल अधिग्रहित भूमि का केवल 10 प्रतिशत या उससे कम है। आवेदक के लिए कुल अधिग्रहण में से 4.34 एकड़ भूमि रखने वाले एक भूमि मालिक के कहने पर पूरे अधिग्रहण को रद्द करना।

110 एकड़ की कंपनी, सार्वजनिक नीति और जनहित के खिलाफ होगी-इसके अलावा, गैर-आवेदक कंपनी के 914 एकड़ के अधिग्रहण के मामले में 10 प्रतिशत से कम भूमि मालिकों के एक अंश द्वारा चुनौती दी जाती है-इसलिए, डिवीजन बेंच ने अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने में गलती की।

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966

कर्नाटक उद्योग (सुविधा) अधिनियम, 2002-उद्देश्य/दायरा

-

चर्चा की।

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः ए. पर्यावरण मंजूरी।

भारत सरकार, जिसकी प्रति एम. एस. पी. एल. की अपील में आई. ए. के साथ दाखिल की गई है। इससे पहले मंत्रालय ने स्वयं वीडियो 14.09.2006 की अधिसूचना में प्रावधान किया गया था कि भूमि को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से किसी भी पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। के. एस. पी. सी. बी. ने दिनांक 02.08.2008 के संचार के माध्यम से संयंत्र की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी और कोई आपत्ति नहीं दी थी। इसके अलावा, सरकार का पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग

कर्नाटक ने 01.10.2010 पर मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा, एमओईएफ मंत्रालय ने दिनांक 08.09.2014 पर एक आदेश जारी किया था। बशर्ते कि संयंत्र का संचालन जारी रखा जा सके। इसके बाद, के. एस. पी. सी. बी. ने एम. एस. पी. एल. की आवश्यकता के लिए दिनांक 16.10.2014 पर एक आदेश जारी किया।

07.12.2014 द्वारा संदर्भ की शर्तों के लिए आवेदन करना और एक वर्ष के भीतर पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना। एम. एस. पी. एल. ने तदनुसार संदर्भ की शर्तों के अनुसार आवेदन किया और एम. ओ. ई. एफ. द्वारा दिनांक 23.09.2016 के संचार के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अब तक कोई आपत्ति नहीं है। यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से कोई पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र नहीं है क्योंकि यह पहले ही 23.09.2016 पर जारी किया जा चुका है। [पैरा 25] [624-एच; 625-ए-डी]

बी. मन का गैर-अनुप्रयोग और अनुचित जल्दबाजी।

2.1 एस. एच. एल. सी. सी. मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद

परियोजना को मंजूरी देने का संकल्प लिया था और किया था

तदनुसार सिफारिशें। इसके बाद, के. आई. ए. डी. बी. ने एस. एच. एल. सी. सी. की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उसे उच्चतम स्तर पर सरकार की उचित मंजूरी भी मिल गई। एम. एस. पी. एल. (प्रारंभिक आवेदक) द्वारा दो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा दोनों उद्योगों की स्थापना के लिए किए गए विभाजन को भी के. आई. ए. डी. बी. और सरकार की उचित मंजूरी थी। [पैरा 26] [625-डी-ई]

2.2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं (भूमि मालिकों) ने

1966 के अधिनियम की धारा 1 (3), 3 (1) और 28 (1) के तहत अधिसूचनाओं को बुद्धि के गैर-अनुप्रयोग और अनुचित एम/एस के आधार पर चुनौती दी गई।

जल्दबाजी करें। दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने वाली याचिकाओं में कोई आधार नहीं उठाया गया और न ही कोई आधार रखा गया। 2002 के अधिनियम का उद्देश्य था - मुख्य रूप से 2002 के अधिनियम के तहत गठित उच्च स्तरीय समितियों द्वारा एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करना। न्यायालय ने विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्टों और सिफारिशों को देखा है।

समितियों के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी पाया कि मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है और परियोजना के समग्र परिप्रेक्ष्य पर एक सचेत निर्णय लिया गया है और प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। [पैरा 27] [625-एफ-एच]

2.3 एस. एच. एल. सी. सी. की दिनांक 1 की बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने की, बैठक में संबंधित मंत्री और सचिव भी उपस्थित थे। प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि, कंपनी की पृष्ठभूमि, वित्त के साधन, बुनियादी सुविधाओं, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी, स्थानीय रोजगार, जल सहित विभिन्न शीर्षों के तहत पूरी परियोजना पर चर्चा की गई।

खपत, बिजली की खपत और प्रोत्साहन और

रियायतें। इसके बाद, प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं का विवरण देते हुए सरकारी आदेश 22.12.2005 पर जारी किया गया था और 2292.26 करोड़ के कुल निवेश के साथ एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना और एक हजार लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए उचित मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, 1966 अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भूमि लेखा परीक्षा समिति ने 28 जनवरी, 2006 की अपनी बैठक में, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव और अन्य संबंधित विभागों के सचिवों ने की। विशेष आमंत्रितों ने विषय वस्तु संख्या 2.5 पर दोनों संयंत्रों के लिए एम. एस. पी. एल. द्वारा प्रस्तुत परियोजना के संबंध में एक सचेत निर्णय भी लिया और 1034 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और के. आई. ए. डी. बी. को सूचित करने की सिफारिश की। इसके बाद राज्य स्तर की नोडल एजेंसी यानी कर्नाटक उद्योग मित्र ने अपनी बैठक दिनांक 15.02.2006 में इस पर विचार करने के बाद

एस. एच. एल. सी. सी. दिनांक 6 जून, 2005 और भूमि लेखा परीक्षा समिति दिनांक 28.01.2006 की कार्यवाही ने स्वीकार किया 1034 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की सिफारिश। [पारस 28

30] [626 - ए-ई]

2.4 इसे ध्यान में रखते हुए, मन के गैर-अनुप्रयोग और उक्त प्रभाव के अधीनता के संबंध में विवादित निर्णय में निष्कर्ष को बनाए नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 32] [628-ए] [2022] 14 एस. सी. आर.

2.5 जहाँ तक 1966 के अधिनियम की धारा 1 (3), 3 (1) और 28 (1) के तहत अधिसूचनाएँ उसी तारीख को जारी की जा रही हैं, यह ध्यान दिया जा सकता है।

कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। [पैरा 33] [628-बी]

ग. 1966 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गयाः

3.1 उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रक्रिया के तहत आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं

भूमि लेखा परीक्षा समिति ने अपनी दिनांक 1 की बैठक में 1034 एकड़ भूमि के अनुदान को मंजूरी दी, जिसे विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया। और राज्य नोडल एजेंसी, कर्नाटक उद्योग मित्र द्वारा दिनांक 1 की अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए के. आई. ए. डी. बी. को सम तिथि के पत्र के माध्यम से विधिवत सूचित किया गया। यह.

इसके बाद अधिसूचनाएं 1966 के अधिनियम की धारा 3 (1), 1 (3) और 28 (1) के तहत 09.11.2006 पर जारी की गईं। उक्त अधिसूचनाओं के एक साथ प्रकाशन को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है

किसी भी अवैधता या अनियमितता से पीड़ित न हों। [पैरा 35] [628 जी-एच; 629-ए-बी]

3.2 1966 के अधिनियम की धारा 28 (1) के तहत अधिसूचना के अनुसार, आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद आगे के कदम उठाए गए

और उसी का निपटारा करते हुए, अंतिम घोषणा की गई,

क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई और उसके बाद कब्जा ले लिया गया। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि भूमि राज्य के नाम पर अधिग्रहित की गई थी, उसके बाद राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी।

पीछा किया। खंड पीठ ने विवादित फैसले में स्पष्ट रूप से इसके आधार पर अपने व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित था - अनुमानों और कोई सामग्री समर्थन नहीं होने के कारण अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया। [पैरा 36] [629-बी-डी]

D. एकल कंपनी के लिए अधिग्रहण

4. बोर्ड द्वारा विकास के उद्देश्य के लिए और या इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए शब्द

अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि एम/एस में भूमि अधिग्रहण करने का इरादा है।

राज्य सरकार की राय न केवल बोर्ड द्वारा विकास के उद्देश्य से हो सकती है, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी हो सकती है। इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना। यह प्राप्त करने की शक्ति देता है।

सरकार। यह प्रावधान एक उद्योग स्थापित करने के लिए एक ही कंपनी को आवंटन के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण करने पर भी विचार करता है। तत्काल मामले में, बोर्ड द्वारा आवंटन को विधिवत मंजूरी दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा। इसलिए, डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त विचार कि किसी एक कंपनी के लिए कोई अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, को कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 37,38,40] [629-एफ-जी; 630 बी-सी; 632-एफ-जी]

ई. गैर-आवेदक के लिए अधिग्रहण (ए. आई. एस. एल.)।

5. यह विवादित नहीं है कि ए. आई. एस. एल. (गैर-आवेदक) एम. एस. पी. एल. (आवेदक) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। असल में ए. आई. एस. एल. एक नई कंपनी है।

एम. एस. पी. एल. और ए. आई. एस. एल. के सरकारी आदेश दिनांक 22.12.2005 में संशोधन के अनुरोध की भी जांच की गई। इसने विभिन्न शीर्षों के तहत विभाजन की जांच की। राज्य सरकार ने जारी किया सरकारी आदेश दिनांक 22.03.2006 ने आगे की शर्त के साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे को विभाजित किया कि सरकारी आदेश दिनांक 22.12.2005 में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें

जैसा कि दोनों कंपनियों के लिए लागू होता है। एम. एस. पी. एल. द्वारा एकमात्र बदलाव की मांग की गई थी कि ए. आई. एस. एल. द्वारा एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाए जो इसकी अपनी सहायक कंपनी थी। ये वाणिज्यिक मामले हैं और राज्य अपने विवेक में बदलाव के प्रस्ताव की जांच करने के बाद

उसी को स्वीकार किया। परियोजना में वित्त, रोजगार और अन्य बुनियादी ढांचे के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया था। उपरोक्त प्रभाव पर उठाई गई आपत्ति योग्य नहीं है।

विचार करें। [पैरा 41] [632-जी-एच; 633-ए-बी]

एफ. श्री रामतनु निर्णय की प्रासंगिकताः

6. विवादित फैसले ने श्री रामतनु के मामले में इस प्रस्ताव के लिए दिए गए फैसले पर भरोसा किया है कि 1966 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण [2022] 14 एस. सी. आर. के समान था।

श्री रामतनु के मामले में विचार किया जा रहा था। वर्तमान मुकदमे में 1966 के अधिनियम या 2002 के अधिनियम की वैधता को कोई चुनौती नहीं है। इसके अलावा, 1962 के अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक राज्यों में व्यवस्थित स्थापना को सुरक्षित करना था। जबकि 1966 के अधिनियम का उद्देश्य और प्रस्तावना उद्योगों (औद्योगिक क्षेत्रों में) की स्थापना और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना था। इस प्रकार, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1962 के अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए था, जबकि अन्य क़ानून यानी 1966 के अधिनियम में, यह औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए था।

उद्योगों की स्थापना और व्यवस्थित विकास। इस प्रकार, पर विवादित निर्णय में खंड पीठ द्वारा निर्भरता श्री रामतनु का मामला गलत है। [पैरा 42,43] [633-सी-ई; 634 जी-एच]

जी. नीतिगत विचारों के मूल्य निर्णय

7. ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित फैसले में खंड पीठ अपने स्वयं के दर्शन से प्रभावित हुई है वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत। कानून में पढ़ा जाना है

उसकी सादा भाषा। उद्योगों की स्थापना विकास का हिस्सा है। सभी पहलुओं का एक स्थायी विकास और अस्तित्व होना चाहिए और इसलिए, कानून बनाए गए हैं, चेक और संतुलन लागू किया गया है ताकि प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के साथ-साथ विकास हो सके। उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डिवीजन बेंच ने 1966 के अधिनियम और 2002 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए कई मूल्य निर्णय और नीतिगत विचार पेश किए। यह केवल सावधानी के उपाय के रूप में है कि उक्त पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह के मूल्य निर्णय और नीतिगत विचार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। न्यायालयों को मूल्य निर्णयों और नीतिगत विचारों को व्यक्त करने से बचना चाहिए ताकि

क़ानूनों की व्याख्या करें। क़ानूनों को उनकी साधारण भाषा में पढ़ा जाना चाहिए और अन्यथा नहीं। [पैरा 44,45] [635-ए-बी; 636-बी-सी]

एच. अल्पसङ्ख्यक (10 प्रतिशत) द्वारा भूमि अधिग्रहण की चुनौती

मालिकों।

एम/एस। M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

8. यह माना जाता है कि अधिग्रहण के लिए चुनौती

एक हजार एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण भूमि मालिकों के एक छोटे से हिस्से द्वारा किया गया था, जिनके पास कुल अधिग्रहण का 10 प्रतिशत से कम भूमि थी। अधिग्रहित शेष 90 प्रतिशत भूमि के लिए क्षतिपूर्ति उनके संबंधित भूमि मालिकों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। डिवीजन बेंच

इतने छोटे अंश के कहने पर एक हजार एकड़ से अधिक के पूरे अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। लगभग 110 एकड़ में से

एम. एस. पी. एल. के लिए अधिग्रहण की गई भूमि में से केवल एक भूमि मालिक के पास केवल 4.34 एकड़ भूमि है, जिसने डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की थी। एम. एस. पी. एल. के लिए 110 एकड़ के कुल अधिग्रहण में से 4.34 एकड़ भूमि रखने वाले एक भूमि मालिक के कहने पर पूरे अधिग्रहण को रद्द करना सार्वजनिक नीति और जनहित के खिलाफ होगा। अकेले एम. एस. पी. एल. कुल 1 करोड़ के पर्याप्त निवेश के साथ 292 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। रोजगार

एम. एस. पी. एल. द्वारा लगभग 300 व्यक्तियों के लिए भी प्रस्ताव में अनुमानित कर्मचारियों की संख्या का दोगुना होने का आरोप है।

इसके अलावा, ए. आई. एस. एल. के 914 एकड़ के अधिग्रहण के मामले में 10 प्रतिशत से भी कम भूमि मालिकों के एक अंश द्वारा चुनौती दी गई है। ए. आई. एस. एल. की अनुमानित परियोजना लगभग 1 करोड़ रुपये की है और इससे कम से कम एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, डिवीजन बेंच ने अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने में गलती की। डिवीजन बेंच के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसार रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। [पैरा 46-48] [636

जी; 637-ए-ई]

श्री रामतनु को-ऑप। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (1970) 3 एससीसी 323: [1971] 1 एससीआर 719;

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बी. पी. एल. लिमिटेड बनाम एस. पी. गुरुराजा (2003) 8 एससीसी 567: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 587; डिप्टी जनरल

प्रबंधक (एच. आर. एम.) और एक अन्य वी. मुदप्पा और अन्य

(2007) (9) एससीसी 768: [2007] 2 एस. सी. आर. 363; नारायणप्पा

वी. कर्नाटक राज्य (2006) 7 एससीसी 578: [2006] 4

पूरक। एससीआर 716; अमरजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2010) 10 एससीसी 43: [2010] 12 एससीआर 163; ओम प्रकाश

वी. उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 6 एस. सी. सी. 1: [1998] 3 एससीआर 64 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1971] 1 एससीआर 719

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[2003] 4 पूरक। एससीआर 587

पै

रा 31

[2022

] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2007] 2 एससीआर 363

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2006] 4 पूरक। एससीआर 716

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

[2010] 12 एससीआर 163

संदर्भित किया गया है

पै

रा 46

[1998] 3 एससीआर 64

संदर्भित किया गया है

पै

रा 46

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4678

2021 से।

उच्च के 22.03.2012 दिनांकित निर्णय और आदेशों से

2009 (एल. ए.-के. आई. ए. डी. बी.) की रिट अपील No.6224 में धारवाड़ में सर्किट बेंच में कर्नाटक का न्यायालय

के साथ

सिविल अपील 2022 की Nos.7167,4699-4719,4679-4698,4745-4747

2021 से।

रंजीत कुमार, गुरुकृष्ण कुमार, शेखर एस. नाफडे, उदय

होला, कृष्णन वेणुगोपाल, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ए. वी. एस. राजू, डी. श्रीनिवास, कृष्ण पाल मावी, एस. के. कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री उदिता चक्रवर्ती, जी. वी. चंद्रशेखर, एन. के. वर्मा, सुश्री अंजना चंद्रशेखर, पी. वी. दिनेश, अश्विनी कुमार सिंह, बिनेश के., राहुल राज मिश्रा, सोमनाथ पधन, श्रीमती शुभांगी तुली, वी. एन. रघुपति, बालाजी श्रीनिवासन, निशांत पाटिल, एम. वी. मुकुंद, गुंटूर प्रभाकर, डॉ. पी. वी. सरवनराजा, अनंत नारायण एम. जी., सुश्री ऐश्वर्या दास, सुश्री फराह हाश्म, डॉ. प्रशांत प्रताप, कुमार

मिताक्षर, अजीत एस. भासमे, संजय कुमार विसेन, सुरेश कुमार भान, सुश्री स्मिता द्विवेदी, सुश्री स्वाति यादव, महेश अग्रवाल, एम. एस. अनंत, रोहन तलवार, शाश्वत सिंह, ई. सी. अग्रवाल, निशांत पाटिल, सुश्री ऐश्वर्या कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

विक्रम नाथ, जे।

1. एस. एल. पी. (सी) संख्या 23351/2012 में दी गई छुट्टी।

2. कर्नाटक राज्य (2021 की सिविल अपील संख्या 4745-4747),

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (2021 का सिविल अपील सं. 4699-4719), मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड (2021 का सिविल अपील सं. 4678) और ए. ए. आर. ई. एस. एस. आयरन एंड स्टील लिमिटेड (2021 का सिविल अपील सं. 4679-4698)

2021) कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 22.03.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश की शुद्धता पर संयुक्त रूप से हमला किया है।

M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट अपीलों के एक समूह में धारवाड़ में न्यायालय, सर्किट बेंच। उक्त निर्णय द्वारा, खंड पीठ ने रिट अपीलों को अनुमति दी, विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 17.03.2009 के आदेश को दरकिनार कर दिया और रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 की धारा 3 (1), 1 (3) और 28 (1) के तहत अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया था। 3. 2012 की सिविल अपील @एस. एल. पी. (सी) संख्या 23351 एक भूमि मालिक सैयद अहमद द्वारा दायर की गई है, जिसमें पारित 14.12.2011 के फैसले को चुनौती दी गई है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ, धारवाड़ में सर्किट बेंच द्वारा 2009 की रिट अपील संख्या 6098 में, जिसके तहत रिट अपील को खारिज कर दिया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 23.06.2008 के फैसले ने रिट याचिका [असर संख्या <ID1] को खारिज कर दिया। 2007 का 18617 (एल. ए.-के. आई. डी. ए. बी.)} की पुष्टि की गई थी। चूँकि अपीलार्थी का तर्क कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांकित 22.03.2012 के निर्णय पर आधारित है, जो ऊपर निर्दिष्ट सिविल अपीलों के समूह में विवादित है, इस मामले को उपरोक्त अपीलों के अनुरूप लिया गया है।

पृष्ठभूमि

4. कर्नाटक राज्य में बनाए गए दो राज्य अधिनियम वर्तमान मामले में मुद्दों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 और कर्नाटक उद्योग (सुविधा) अधिनियम, 2002।

(i) 1966 अधिनियम निम्नलिखित प्रस्तावना/उद्देश्य के साथ आयाः

" कर्नाटक राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को सुरक्षित करने और आम तौर पर उनमें उद्योगों की स्थापना और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम और उस उद्देश्य के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना और उपरोक्त मामलों से जुड़े उद्देश्यों के लिए। जहाँ विशेष प्रावधान करना समीचीन है

1 [कर्नाटक राज्य] 1 में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को सुरक्षित करने और आम तौर पर ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए, और उस उद्देश्य के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना और उपरोक्त मामलों से जुड़े उद्देश्यों के लिए;

((ii) 2002 का अधिनियम निम्नलिखित प्रस्तावना/उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया थाः

1 संक्षेप में "1966 का अधिनियम"

2 संक्षेप में "2002 अधिनियम" [2022] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अधिनियम

और विनियामक को सरल बनाने के लिए नए निवेशों की सुविधा

प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करके कार्य की रूपरेखा तैयार करना और

दस्तावेजों को युक्तिसंगत बनाना और कर्नाटक राज्य में निवेशक अनुकूल वातावरण प्रदान करना। जबकि, यह समीचीन है

औद्योगिक और अन्य कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करना।

एकल बिंदु मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य में परियोजनाएं और

प्रवर्तकों को सहायता, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करना, दस्तावेजों को तर्कसंगत बनाना और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।

5. यह अधिग्रहण दो कंपनियों के लिए है। मैसर्स एम. एस. पी. एल. Ltd.[3] और मैसर्स ए. ए. आर. ई. एस. एस. आयरन एंड स्टील Ltd.4, लौह अयस्क पैलेटाइजेशन की स्थापना के लिए

6. तथ्यों को निर्धारित करने से पहले यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि 1966 अधिनियम की धारा 1 (3) और 3 (1) के तहत अधिसूचनाओं को चुनौती केवल 2008 के डब्ल्यू. पी. No.6304 में दी गई है। यह याचिका अधिग्रहण की गई भूमि से संबंधित है। एम एस पी एल। इस याचिका में भूमि मालिक एस. नारायण रेड्डी के पास केवल 4.35 एकड़ जमीन थी जबकि एम. एस. पी. एल. के लिए अधिग्रहित कुल भूमि लगभग थीः 110

एकड़। इस प्रकार, रेड्डी के पास एम. एस. पी. एल. के लिए कुल अधिग्रहण के 4 प्रतिशत से भी कम भूमि का एक अंश था। शेष 10 याचिकाओं में 1966 अधिनियम की धारा 28 के तहत अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। द रिट

सभी 10 याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने ए. आई. एस. एल. के लिए अधिग्रहित कुल भूमि का 10 प्रतिशत से भी कम हिस्सा लिया। सुविधा के लिए एम. एस. पी. एल. की अपील से तथ्य दर्ज किए गए हैं। इसमें ए. आई. एस. एल. की अपील के प्रासंगिक तथ्य भी शामिल हैं।

घटनाओं का कालक्रमः

आई.

एम. एस. पी. एल. ने 23.03.2005 पर राज्य के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।
2002 के अधिनियम के तहत उच्च स्तरीय मंजूरी समितियों ने कोप्पल जिले के कोप्पल तालुक में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र और पैलेटाइजेशन संयंत्र स्थापित करने की परियोजना की मंजूरी के लिए

कर्नाटक राज्य।

एस. एच. एल. सी. सी. ने अपनी दिनांकित 06.06.2005 की बैठक में मंजूरी दी

ii.

एम. एस. पी. एल. की 1 करोड़ 20 लाख की परियोजना का प्रस्ताव टी. पी. ए. लौह अयस्क पेलेट संयंत्र और 1 मिलियन टी. पी. ए. विशेष इस्पात संयंत्र (1 की प्रारंभिक क्षमता वाला एक एकीकृत इस्पात संयंत्र)

3 संक्षेप में "एम. एस. पी. एल".

4 संक्षेप में "ए. आई. एस. एल".

35 संक्षेप में "एसएचएलसीसी" [।

एस पी एल। लिमिटेड वी। कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

उपरोक्त परियोजना जिसमें 1034 एकड़ का अधिग्रहण शामिल था कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा भूमि का 63

1966 के अधिनियम के तहत स्थापित।

22.12.2005 एम. एस. पी. एल. को परियोजना स्थापित करने की अनुमति देना और 1034 एकड़ सहित बुनियादी सुविधाओं को मंजूरी दी गई

के. आई. ए. डी. बी. द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि।

एम. एस. पी. एल. ने 04.01.2006 पर किए गए सभी आवेदनों को स्थानांतरित कर दिया

पैलेटाइजेशन की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार

और ए. आई. एस. एल. को लोहा और इस्पात संयंत्र।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, ए. आई. एस. एल. ने 09.01.2006 के लिए आवेदन किया

एम. एस. पी. एल. द्वारा जमा किए गए सभी आवेदनों को स्थानांतरित किया जाएगा

नाम।

16.01.2006 पर, एम. एस. पी. एल. द्वारा एक और पुनर्गठन किया गया था।

और इसे उद्योग विभाग को सूचित कर दिया गया

कि पैलेटाइजेशन परियोजना एम. एस. पी. एल. द्वारा की जानी थी

जबकि लोहा और इस्पात परियोजना ए. आई. एस. एल. द्वारा की जानी थी।

28.01.2006 पर, भूमि लेखा परीक्षा समिति ने मंजूरी दे दी

अधिग्रहण के लिए 1034 एकड़ भूमि।

15.02.2006 पर, कर्नाटक उद्योग मित्र ने बताया कि

परियोजना के लिए भूमि। कर्नाटक सरकार ने एक और सरकार जारी की

पहले से स्वीकृत परियोजना को संशोधित करने के लिए दिनांकित 22.03.2006 आदेश

एम. एस. पी. एल. और एकीकृत इस्पात के पक्ष में पेलेट संयंत्र के लिए

ए. आई. एस. एल. के नाम पर संयंत्र।

राज्य सरकार ने धारा के तहत अधिसूचना जारी की

1 (3) , 3 (1) और 1966 के अधिनियम के 28 (1) के बीच कहीं

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 19.10.2006 पर पेलेटाइजेशन संयंत्र के लिए अपनी निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित की

एम एस पी एल।

【 एडीबी "

एस. सी. आर

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इसके बाद, 1966 अधिनियम की धारा 28 (4) के तहत अधिसूचनाएं एम. एस. पी. एल. द्वारा आवश्यक 110 एकड़ 24 गुंटा के कुल क्षेत्र के लिए 17.05.2007,13.03.2008 और 17.04.2007 पर जारी की गईं। (ए. आई. एस. एल. के लिए आवश्यक भूमि के लिए भी इसी तरह की अधिसूचना जारी की गई थी) 1966 अधिनियम की धारा 29 (2) के तहत मुआवजा था

रुपये की राशि पर निर्धारित किया गया। 3,64,98,000 / - एम एस पी एल के लिए।

विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, के. आई. ए. डी. बी. ने दो श्रेणियों में भूमि के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए अपने आदेश जारी किएः रु. 3 सूखी भूमि के लिए प्रति एकड़ लाख और रु। 3.50 सिंचित भूमि के लिए प्रति एकड़ लाख। भूमि मालिकों से अनुरोध किया गया था कि

उनका मुआवजा इकट्ठा करें।

एम. एस. पी. एल. और ए. आई. एस. एल. के लिए 1966 के अधिनियम की धारा 28 (4)। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अधिग्रहित 90 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करने वाले 90 प्रतिशत से अधिक भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार कर लिया। केवल 10 प्रतिशत या उससे कम भूमि मालिकों ने उपरोक्त 11 याचिकाएं दायर की थीं। 2008 की रिट याचिका संख्या 6304 में भी चुनौती दी गई थी 1966 अधिनियम की धारा 1 (3) और 3 (1) के तहत अनुदान। उसमें अधिग्रहित किए जाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं का क्षेत्र केवल 4 एकड़ और 34 गुंटा है। इसके अलावा 2008 की रिट याचिका संख्या 6304 एम. एस. पी. एल. द्वारा स्थापित किए जा रहे पेलेटाइजेशन संयंत्र के लिए भूमि के संबंध में थी अन्य 10 याचिकाएं ए. आई. एस. एल. के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए थीं।

आई. डी. 1 पर कर्नाटक सरकार ने 110 एकड़ और 24 एकड़ भूमि के हस्तांतरण का आदेश जारी किया। गुंटेस।

कब्ज़े का हस्तांतरण 10.03.2008 पर हुआ और दोनों कंपनियों एम. एस. पी. एल. और ए. आई. एस. एल. को कब्ज़ा सौंप दिया गया।

एम/एस। M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

xxi। एम. एस. पी. एल. ने के. आई. ए. डी. बी. के साथ एक समझौता किया

11.03.2008 .

xxii। के. एस. पी. सी. बी. ने एम. एस. पी. एल. को पेलेट संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दी

02.08.2008 और 01.12.2008 पर।

xxiii. इसके अलावा पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग

कर्नाटक सरकार ने 01.10.2010 पर पर्यावरण मंजूरी दी।

XXIV। 17.03.2009 पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सभी को खारिज कर दिया

11 याचिकाएँ।

एक्सएक्सवी। एकल न्यायाधीश के फैसले को रिट के माध्यम से चुनौती दी गई थी

डिवीजन बेंच के समक्ष अपील।

xvi. डिवीजन बेंच ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से अपीलों को स्वीकार कर लिया और पूरे क्षेत्रों के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसे चुनौती भी नहीं दी गई थी।

xvii. एम. एस. पी. एल. के पक्ष में अंतरिम आदेश के अनुरोध के साथ इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं। इस अदालत ने मंजूरी दी

संचालन में रहते हुए 27.07.2012 पर अंतरिम सुरक्षा

डिवीजन बेंच का विवादित निर्णय।

xviii. पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 08.09.2014 पर एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि संयंत्र को जारी रखा जा सकता है।

संचालन करने के लिए।

XXX. के. एस. पी. सी. बी. ने दिनांक 16.10.2014 पर एक आदेश जारी किया जिसमें एम. एस. पी. एल. को 07.12.2014 द्वारा संदर्भ की शर्तों (टी. ओ. आर.) के लिए आवेदन करने और एक वर्ष के भीतर पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए कहा गया।

XXX। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांकित पत्र के माध्यम से

23.09.2016 पर्यावरण मंजूरी को संप्रेषित किया गया

एम एस पी एल।

7. घटनाओं का उपरोक्त कालक्रम ओपेलेंट एम. एस. पी. एल. के लिखित नोट का हिस्सा है। उत्तरदाताओं द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है

आईडी कालक्रम।

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहीः

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, भूमि के लिए विद्वान वकीलों ने दो बिंदु उठाए थे जैसा कि उसके पैराग्राफ 3 में दर्ज किया गया था;

इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" श्री महाबलेश्वर गौड़, विद्वान वकील

कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य रूप से दो बिंदुओं का प्रचार किया गयाः (क) राज्य सरकार ने के. आई. ए. डी. बी. अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत अधिसूचना जारी नहीं की है और इसके परिणामस्वरूप, के. आई. ए. डी. बी. अधिनियम का अध्याय 7 जहां तक वर्तमान अधिग्रहण से संबंधित है, लागू नहीं हुआ है और इसलिए, के. आई. ए. डी. बी. अधिनियम की धारा 28 (1) और 28 (4) के तहत जारी अधिग्रहण अधिसूचनाएं कानून की नजर में खराब हैं, और (ख)

अधिग्रहण केवल एक कंपनी के संबंध में है और इसलिए, यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं है। उनके अनुसार, यह शक्ति के रंगीन प्रयोग और शक्ति की कार्रवाई का मामला है। उत्तरदाता धोखाधड़ी करते हैं और इसलिए, अधिग्रहण

कार्यवाही दूषित होती है "।

9. जहाँ तक 1966 के अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत अधिसूचना के अभाव के बारे में पहले बिंदु का संबंध था, के. आई. ए. डी. बी. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने सरकार की दिनांक 09.01.2006 की अधिसूचना प्रस्तुत की, जिसमें सूचित किया गया कि 1966 के अधिनियम का अध्याय VII संबंधित क्षेत्र में लागू होगा। जहाँ तक दूसरे बिंदु का संबंध है कि अधिग्रहण केवल एक कंपनी के लिए था और इस प्रकार यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता है, शक्ति का रंगीन प्रयोग होने और उत्तरदाताओं की कार्रवाई धोखाधड़ी वाली होने के कारण विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विस्तार से निपटा गया था और 1966 के अधिनियम के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा गया था कि दूसरा तर्क भी विफल हो जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतिम पैराग्राफ में यह भी दर्ज किया है कि केवल 10 प्रतिशत भूमि मालिकों ने रिट याचिका दायर करके अपनी शिकायतें प्रस्तुत की हैं। इसने आगे इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए व्यापक सार्वजनिक हित में उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करने के कारण बताए। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का अंतिम अनुच्छेद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिन भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई है, उनमें से केवल दसवें हिस्से के मालिक इन रिट याचिकाओं को दायर करके अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। यदि के. आई. ए. डी. बी. अधिनियम की धारा 28 (1) और धारा 28 (4) के तहत अधिसूचनाओं को अलग कर दिया जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में पूरी विकास गतिविधि रुक जाएगी और यह किसी के हित में नहीं होगा। जब अधिग्रहित भूमि के 9/10 वें हिस्से पर कब्जा करने वालों के पास एम/एस नहीं है तो भूमि के इतने बड़े हिस्से के अधिग्रहण में हस्तक्षेप करना उचित या व्यवहार्य नहीं है।

M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देना उचित समझा। मेरे बारे में उपरोक्त दृष्टिकोण ओम प्रकाश और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से समर्थित है -

बनाम-उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों का राज्य ((1998) 6 एस. सी. सी. पृष्ठ-1)। व्यक्ति के भूमि मालिक के अधिकार को स्थान मिलना चाहिए -

बड़े सार्वजनिक उद्देश्य। उसी को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अधिग्रहण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर देता है।

10. डिवीजन बेंच ने अपीलों को अनुमति दी, और स्थापित करने के बाद

विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले ने मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया। खंड पीठ ने अनुच्छेद 127 में अभिलिखित किया

निष्कर्ष जो यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" 127. परिणामस्वरूप, हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:

अंग्रेजी कानूनी प्रणाली या उसके तहत विचार की गई कार्रवाई की तुलना में कार्रवाई बहुत अधिक सटीक, व्यापक और सटीक है। अमेरिकी कानूनी प्रणाली में विकसित। हमारे देश में एक लिखित संविधान और सक्षम विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के मद्देनजर, प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा

केवल उसी के प्रभावित होने के मापदंडों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के सवाल तक ही सीमित नहीं है या

अनुचितता, मनमानेपन के कारण दूषित या

अतार्किकता, जो अवधारणाएं एक सटीक परिभाषा में सक्षम नहीं हैं, हालांकि कई विद्वान लेखकों ने अच्छा योगदान दिया है और प्रशासनिक कानून इसका बहुत बड़ा हिस्सा है।

न्यायशास्त्र लेकिन अधिक सारवान और सटीक है

मानकों जैसे कि वैधानिक के टचस्टोन पर प्रावधान और संवैधानिक प्रावधान और इसलिए कोई भी निर्णय और ऐसा निर्णय लेने की प्रक्रिया, यदि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो निर्णय प्रभावित होता है और नहीं हो सकता है।

टिके रहें।

(ii) सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भी निजी भूमि का अधिग्रहण, जबकि हमेशा अधिग्रहण कार्यवाही और सार्वजनिक उद्देश्य के अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुरूप होना चाहिए।

ऐसी स्थिति में जहां अधिग्रहण किसानों की निजी कृषि भूमि का है और उनकी आजीविका को प्रभावित करने और [2022] 14 एस. सी. आर. को वंचित करने का प्रभाव है, जो सार्वजनिक हित में है, ऐसी कोई भी अधिग्रहण कार्यवाही अनिश्चित है।

फिर अधिग्रहण की कार्यवाही का परीक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,21 और 300 ए जैसे संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर भी करना होगा और हालांकि अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत कोई संबंधित सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, फिर भी, अदालतों को प्रक्रियात्मक अनुपालन के सख्त परीक्षण को लागू करना होगा।

आवश्यकताएँ और प्रक्रियात्मक से भी कोई विचलन

आवश्यकता अधिग्रहण कार्यवाही को दूषित कर देगी।

iii) कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण केवल एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विषय भूमि को विकसित करने के उद्देश्य से और बोर्ड द्वारा किया जा सकता है और यह किसी निजी क्षेत्र के लाभ के लिए नहीं हो सकता है।

उद्योग या कंपनी या कंपनियां, विशेष रूप से

अधिनियम के 1,3 और 28 के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचनाएं, जिसमें घोषणा की गई है कि बोर्ड के उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के लिए विषय भूमि को अधिसूचित किया जाता है और जब ऐसा होता है, तो ऐसी भूमि को एक निजी उद्योगपति को सौंप दिया जाता है।

यह शक्ति के अनुचित प्रयोग का एक उदाहरण है और प्रकाशित और बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी अधिग्रहित भूमि का वितरण, चाहे विकास के बाद हो या विकास से पहले, राज्य की बड़ी राशि के वितरण की प्रकृति में होना, उन सभी उम्मीदवारों को समान अवसर से वंचित करने के बराबर है, जो औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं और जब राज्य किसी निजी व्यक्ति को अधिग्रहित भूमि सौंपता है, तो यह भारत के संविधान में समानता खंड का उल्लंघन है। इस संबंध में, हेगप्पनवर के मामले में इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले में उल्लिखित कानून का बयान। [ऊपर], बाद में एन. सोमशेखर [ऊपर] के मामले में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रामतानु के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर।

[ऊपर], उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले के पैरा 21 में दर्शाई गई सही कानूनी स्थिति का उल्लेख नहीं करता है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

21. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम और अधिनियम के बीच प्रक्रियात्मक भेदभाव था। ऐसा कहा गया था।

M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

कि कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा एक विशेष प्रक्रिया तैयार की गई थी, जबकि वर्तमान मामले में राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम की प्रक्रिया को अपनाए बिना कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहा था। यह याद रखना चाहिए कि अधिनियम में

वर्तमान मामला एक विशेष मामला है जिसका विकास, विकास और संगठन का विशिष्ट और विशेष उद्देश्य है

महाराष्ट्र राज्य में उद्योग। अधिनियम की अपनी प्रक्रिया है और इसके लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मामले में किसी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण। वर्तमान मामले में, अधिनियम के तहत अधिग्रहण निगम द्वारा औद्योगिक संपदाओं या औद्योगिक क्षेत्रों के विकास या अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए है। नीति.

अधिनियम के अंतर्गत किसी के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं है।

कंपनी लेकिन औद्योगिक संपदाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, संगठन और विकास के एकमात्र उद्देश्य के लिए। इस अधिनियम को राज्य के सभी हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्रों के अव्यवस्थित विकास के विपरीत एक नियोजित औद्योगिक शहर बनाने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के विकसित हिस्सों में उद्योगों के विकास को रोकना है। इसलिए राज्य के विकासशील या नए हिस्सों में उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए जहां नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे।

अस्तित्व में लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों के लिए नियोजित क्षेत्रों का निर्माण करना है। एक तरफ इंजीनियरिंग उद्योग होंगे और दूसरी तरफ रासायनिक उद्योग। उद्योगों का स्थानीयकरण होगा जिसके परिणामस्वरूप कस्बों और शहरों के निवासियों और निवासियों को या तो प्रदूषित हवा से नुकसान नहीं होगा या

उद्योगों के अप्रिय रसायन या आवासीय क्षेत्रों के भीतर और आसपास उद्योगों और औद्योगिक आबादी की सघन वृद्धि। भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है और इसलिए इसके लिए विशिष्ट प्रावधान है -

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण और

कंपनियों के लिए राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण। दूसरी ओर वर्तमान अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य है - औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक संपदाओं का विकास और राज्य के भीतर उद्योगों का विकास और विकास। औद्योगिक उपक्रम या व्यक्ति जो [2022] 14 एस. सी. आर. में लगे हुए हैं।

ऐसे औद्योगिक विकास पर सभी उद्योग सुविधाओं के हकदार हो जाते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण कंपनी के कहने पर और उसके लाभ के लिए किया जाता है, जबकि वर्तमान अधिनियम के तहत अधिग्रहण केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा किया जाता है। ये दो अधिनियम हैं -

स्थितियों और परिस्थितियों में भिन्न।

हालाँकि महाराष्ट्र अधिनियम की उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच महाराष्ट्र अधिनियम की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में थी जो केंद्रीय अधिनियम-भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रतिकूल थी-जैसा कि हम महाराष्ट्र अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य को पाते हैं।

साथ ही कर्नाटक अधिनियम राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से है, और इसलिए इसे सही कानून और अनुपात निर्धारित करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

इस न्यायालय के दो एकल पीठ के फैसलों में इस आशय का संकेत दिया गया है जिसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। iv) एक उद्यमी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की मंजूरी और राज्य उच्च स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा सम्मान अधिनियम की धारा 5 के तहत मंजूरी अपने आप में एक परियोजना के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।

राज्य सरकार द्वारा किसी भी सक्षम अधिग्रहण अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निजी भूमि के अधिग्रहण के मामले में किसी भी संभावित उल्लंघन, उल्लंघन, अवैधता या अनियमितताओं के खिलाफ बीमा।

अधिनियम (केआईएडी अधिनियम, 1966)। इस तरह की मंजूरी राज्य सरकार को अधिग्रहण अधिनियम में निहित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करने से मुक्त नहीं कर सकती और न ही करती है। तत्काल मामले में, के. आई. ए. डी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत और भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की वैधता या अन्यथा स्वतंत्र रूप से जांच करनी होती है और राज्य उच्च स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा परियोजना की केवल मंजूरी भूमि अधिग्रहण के मामले में अवैधता या अनियमितताओं को मान्य नहीं कर सकती है और न ही करेगी। तत्काल मामले में इस तरह की स्वतंत्र जांच पर, हम अभिलेखों से पाते हैं कि राज्य सरकार एक अधिग्रहण प्राधिकरण के रूप में

और एक सांविधिक विकास बोर्ड के रूप में बोर्ड ने न केवल अधिनियम की धारा 3 (1) और 28 के सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, बल्कि केवल राज्य उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और इस प्रकार एम/एस किया है।

M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

अधिग्रहण के तहत अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का त्याग किया

एक्ट करें।

v) धारा 3 (1) के तहत किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करना।

अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत एक औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में अधिनियम के अध्याय-VII की प्रयोज्यता को अधिसूचित करने के लिए अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा बोर्ड द्वारा विकास के उद्देश्य से एक औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी हद तक भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की अधिसूचना जारी करना, विशेष रूप से जब इन अधिसूचनाओं में भूमि की विभिन्न सीमा का उल्लेख किया गया है, तो यह स्पष्ट रूप से समझ की कमी को दर्शाता है।

वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ जागरूकता की कमी

इन तीन अलग-अलग वैधानिक प्रावधानों के तहत न केवल अधिसूचनाएं जारी करने के लिए बल्कि राजपत्र भी जारी करने के लिए अधिनियम में प्रावधान करने में विधायी योजना और जब तक कि यह तथ्यात्मक रूप से और रिकॉर्ड पर न हो कि राज्य सरकार इन तीनों के लिए एक अनुरूप विचार स्थापित करने में सक्षम है।

अधिनियम की विभिन्न सक्षम करने वाली धाराएँ, एक धारणा कि या तो अधिसूचनाएँ वैध रूप से जारी की जाती हैं या अधिसूचनाएँ

पूरी तरह से प्रक्रियात्मक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। अधिनियम की धारा 28 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा भूमि के वैध अधिग्रहण के लिए, जब तक कि राज्य सरकार ने इसका पालन नहीं किया है

अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (2) से (8) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता, अधिग्रहण की कार्यवाही दूषित हो जाती है, क्योंकि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप न केवल भूमि की हानि होती है

खेतिहर लेकिन उनकी आजीविका और उनके इनकार

व्यवसाय, और इसलिए भूमि का वर्तमान अधिग्रहण

प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के रूप में अस्थिर हो जाता है वर्तमान में इन वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है।

vi) अधिनियम की धारा 28 के तहत अधिसूचित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को भी इस कारण से दूषित किया जाता है कि राज्य सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के जनादेश के प्रति अपनी जागरूकता नहीं दिखाई है, जिसमें नई परियोजनाओं पर प्रतिबंध और प्रतिबंध लगाए गए हैं। या उद्योगों और उद्योगों की प्रकृति के संबंध में उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर गतिविधियाँ [2022] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विषय में चौथे प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव

अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने से पहले भूमि। द.

संशोधित नियम दिनांकित अधिसूचना के अनुसार लागू हुआ है।

14-9-2006 और स्पष्ट और जोरदार शब्दों में परिकल्पना की गई है

पूर्व की मंजूरी या अस्वीकृति के लिए प्रक्रिया

पर्यावरण मंजूरी। अधिसूचना के संदर्भ में, यहां तक कि

नई परियोजनाओं के निर्माण से पहले, इसे अनुमोदित/किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार या राज्य द्वारा अनुमति या मंजूरी

द्वारा गठित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत केंद्र सरकार

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम। प्रस्तावित उद्योग

उत्तरदाताओं 4 और 5 द्वारा स्थापित किया जाना है जिनके पास एक वार्षिक

20000 टन से अधिक की उत्पादन क्षमता एक श्रेणी है।

के कॉलम 3 (ए) के अर्थ के भीतर उद्योगों/गतिविधियों का

अधिसूचना की अनुसूची और इसलिए पूर्व मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक था। राज्य ने

सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है

प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 9-11-2006 यानी जारी करके,

दिनांक 14-9 की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद

2006 पर्यावरण (संरक्षण) के प्रावधानों के तहत

अधिनियम, इंगित करता है कि राज्य सरकार ने शुरुआत की थी

निजी कंपनी के लाभ के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही

अधिसूचना द्वारा कवर किए गए उद्योगों को स्थापित करने के लिए इससे पहले भी यह ज्ञात था कि क्या इस प्रकृति की परियोजना को मंजूरी दी जा सकती है

केंद्र सरकार द्वारा और इसलिए अधिग्रहण

कार्यवाही दूषित हो जाती है। निजी कृषि का अधिग्रहण

राज्य सरकार द्वारा और जनता के नाम पर भूमि

उद्देश्य या तो आकस्मिक या जागरूक हुए बिना नहीं हो सकता है।

अधिग्रहित भूमि की उपयुक्तता और संभावना

प्रस्ताव के लिए उपलब्ध या अन्यथा। इस दृष्टि से अनुच्छेदों के तहत नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली राज्य की कार्रवाई का मामला

21 और भारत के संविधान के 300 ए का उल्लंघन करते हुए

अनुच्छेद 14 भी संविधान के समक्ष पारित नहीं हो सकता है।

अदालत "।

11. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर, खंड पीठ ने अनुमति दी

1966 के अधिनियम की धारा 3 (1) और 28 (1) के तहत जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। उसी से पीड़ित, अपीलों को न केवल उन कंपनियों द्वारा प्राथमिकता दी गई जिनके लाभों के लिएके. आई. ए. डी. बी. और कर्नाटक राज्य द्वारा भी अधिग्रहण किया गया था।

एम/एस। M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह इंगित किया जाता है कि 2012 की सिविल अपील @एसएलपी (सी) संख्या 23351 को पीड़ित भूमि मालिक द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

बी. एम. एम. इस्पात लिमिटेड कंपनी के लिए इसी तरह के अधिग्रहण से संबंधित चुनौती के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज करने की पुष्टि करते हुए उक्त याचिकाकर्ता की रिट अपील को खारिज कर दिया गया था।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और गौर किया है

अभिलेख पर सामग्री। एम. एस. पी. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने हमें घटनाओं के कालक्रम के बारे में बताने के बाद, विवादित फैसले में दिए गए निष्कर्षों और तर्कों का सारांश इस प्रकार दिया:

अपीलार्थी एक 'निजी' कंपनी होने के कारण, उसके हित हैं -

ए।

सार्वजनिक नहीं।

बी।

अपीलार्थी एम. एस. पी. एल. दो या तीन संस्थाओं में गुणा हो गया

अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान भी।

2002 के अधिनियम से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है कि

सी.

यह कभी भी अन्य वैधानिक आवश्यकताओं और प्रक्रियात्मक अनुपालनों को स्वीकार करके नहीं हो सकता है। 1996 की धारा 28 के अनुसार इस प्रक्रिया का पालन किया गया।

डी।

अधिनियम उचित नहीं था और कई भूमि मालिकों ने शिकायत की थी कि उन्हें बेदखल किया जा रहा है या उन्हें जमीन से निकाल दिया जा रहा है। प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के रूप में भूमि का पालन नहीं किया गया था।

ई. 1996 के अधिनियम की धारा 28 (7) 'कठोर' है।

आबन

जब किसी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो कोई 'सार्वजनिक उद्देश्य' नहीं होता है।

इकाई।

जी। के. आई. ए. डी. बी. ने पर्यावरण के मुद्दे की जांच नहीं की है।

सफाई।

2002 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में अधिग्रहण कार्यवाही,

एच.

कानून के अनुसार नहीं हैं और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं हैं।

13. श्री वेणुगोपाल ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 127 में दिए गए निष्कर्षों को भी संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत किया, जिन्हें पहले ही ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका हैः

के. आई. ए. डी. बी. किसी एक कंपनी/निजी के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है।

आई.

उद्योगपति और वही सत्ता का अनुचित प्रयोग है। यह जनहित में भी नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2002 के अधिनियम के तहत एस. एच. एल. सी. सी. द्वारा परियोजना की मंजूरी नहीं है।

ii.

भूमि अधिग्रहण में अवैधताओं/अनियमितताओं के खिलाफ प्रतिरक्षा।

धारा 1 (3) के तहत अधिसूचनाओं को एक साथ जारी करना,

iii.

3 (1) और भूमि को 'औद्योगिक क्षेत्र' के रूप में घोषित करने और उसके अधिग्रहण के लिए 1966 के अधिनियम की धारा 28 (1), 'वैधानिक प्रावधानों की समझ की स्पष्ट कमी के साथ-साथ विधायी योजना के प्रति जागरूकता की कमी को दर्शाती है' और आगे, 'जब तक कि यह तथ्यात्मक रूप से और रिकॉर्ड पर न हो कि राज्य सरकार 1966 के अधिनियम की तीन अलग-अलग सक्षम धाराओं के लिए दिमाग का एक अनुरूप अनुप्रयोग स्थापित करने में सक्षम है,

यह धारणा कि या तो अधिसूचनाएं वैध रूप से जारी की गई हैं या अधिसूचनाएं पूरी तरह से अधिसूचना के अनुरूप हैं।

प्रक्रियात्मक आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। राज्य सरकार ने ई. आई. ए. का अनुपालन नहीं किया है।

iv.

पर्यावरण मंजूरी के लिए अधिसूचना।

14. श्री कृष्णन वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील और फिर उन्नत प्रस्ताव जिन्हें संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया गया हैः

ए। अभिलेख पर निम्नलिखित तथ्यों और सामग्री की सराहना करने में विफलता

सामग्री पर विचार करने के बाद परियोजना को मंजूरी दी गई

पूरी प्रक्रिया की शुरुआत एक आवेदन पर आधारित है।

आई.

अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया और 2002 के अधिनियम के तहत इसका विचार। आवेदन पर 06.06.2005 पर विचार किया गया था। परियोजना को मंजूरी देने का सरकारी आदेश जारी था।

ii.

22.12.2005 . मंजूरी जल्दबाजी में नहीं दी गई थी और सरकारी आदेश वास्तव में परियोजना की प्रमुख विशेषताओं को नोट करता है। द्वारा सरकारी आदेश के संशोधन के लिए मंजूरी

iii.

ए. आई. एस. एल. का समावेश एम. एस. पी. एल. द्वारा दायर एक आवेदन पर आधारित था। ए. आई. एस. एल. और एम. एस. पी. एल. के बीच विवरण और संबंध अतिरिक्त दस्तावेजों में दिए गए हैं, जो बताते हैं कि एम. एस. पी. एल. और ए. आई. एस. एल. के साझा शेयरधारक थे और वे एक ही प्रबंधन के तहत थे और अंततः ए. आई. एस. एल. पूरी तरह से स्वामित्व वाली कंपनी थी।

एम. एस. पी. एल. की सहायक कंपनी। आवेदक द्वारा पूर्ण और पूर्ण प्रकटीकरण किया गया था और

iv.

उसी पर विधिवत विचार किया गया था और यांत्रिक रूप से नहीं I.S.P.L। सीमित v।

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

कर्नाटक सरकार द्वारा अनुमोदित। उच्च न्यायालय ने कहा हैः

" 106 ..... बाद के स्तरों पर दिमाग का कोई अनुप्रयोग नहीं है। अधिनियम के नाम पर और एक क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी एक अधिसूचना में प्रतिवादी संख्या का उल्लेख किया गया है। 4 और 5. उत्तरदाता संख्या 5 कभी नहीं था

राज्य उच्च स्तरीय मंजूरी के समक्ष आवेदक

समिति, लेकिन, फिर भी, में आंकड़े

अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना। यहाँ तक कि

नामों का उल्लेख करने से यह पता नहीं चलता है कि वे वहाँ कैसे हैं। इसकी कोई प्रस्तावना या किंवदंती नहीं दी गई है। फिर अध्याय के अनुप्रयोग का अनुसरण करता है

VII अधिसूचित भूमि के संबंध में।

उपरोक्त टिप्पणियों ने सरकारी आदेश दिनांक 22.03.2006 को ध्यान में नहीं रखा है। भूमि का अनुदान

इसे भूमि लेखा परीक्षा समिति द्वारा 28.01.2006 पर अपनी बैठक में भी अनुमोदित किया गया है।

भूमि मालिकों की आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया

2002 के अधिनियम के तहत परियोजना को मंजूरी मिलने पर 1966 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना 09.11.2006 पर जारी की गई थीः - (ए) धारा 1 (3) के तहत घोषणा कि अध्याय 7 (बी) धारा 3 (1) के तहत घोषणा को लागू करेगा कि 1966 के अधिनियम के लिए एक क्षेत्र 'औद्योगिक क्षेत्र' है और (सी) भूमि अधिग्रहण।

इसके बाद ही 1966 के अधिनियम की धारा 28 (1) के तहत व्यक्तिगत भूमि मालिकों को कारण दिखाने के लिए नोटिस जारी किया जाता है कि भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, धारा 28 (2) के तहत 20.11.2006 पर नोटिस जारी किया गया था और आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया था। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद केआईएडी अधिनियम की धारा 28 (3) के तहत एक आदेश पारित किया।

इस माननीय न्यायालय के समक्ष नमूना पंचनामा भी रखा गया है। बिना किसी आधार के और अभिलेख पर सामग्री के बावजूद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि धारा 28 (3) के संदर्भ में प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी। कानून की सराहना करने में विफलता

सुविधा अधिनियम का दायरा

उच्च न्यायालय ने गलती से निष्कर्ष निकाला है कि 2002

आई.

अधिनियम 'वस्तुतः राज्य की अन्य सभी एजेंसियों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ता है चाहे वे वैधानिक हों या अन्यथा और उनमें विनम्रता की स्थिति पैदा की है और उन्होंने यंत्रवत रूप से रोबोट की तरह अनुपालन तरीके से काम किया है।' यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. एच. एल. सी. सी. और एकल खिड़की मंजूरी समिति का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा यदि ऐसी समिति द्वारा दी गई मंजूरी की अन्य विभागों द्वारा बार-बार समीक्षा की जाती है। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण न केवल 2002 के अधिनियम के पाठ को अप्रासंगिक बनाएगा और

यह कार्य करने योग्य नहीं है, लेकिन यह 2002 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा जैसा कि उद्देश्य और कारणों के विवरण में निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय ने इसे पूरी तरह से पार कर लिया है

ii.

परियोजना के अनुमोदन की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र जब एकमात्र मुद्दा था जिसकी जांच की जानी थी-क्या 1966 के अधिनियम की धारा 28 के अधिदेश का पालन किया गया था।

उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि 2002 का अधिनियम एक

iii.

'वैधानिक आवश्यकताओं और प्रक्रियात्मक अनुपालनों' के लिए पूर्ण 'जाना' स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड के विपरीत है। द.

एस. एच. एल. सी. सी., राज्य द्वारा परियोजना की मंजूरी

के. पी. एस. सी. बी. द्वारा स्थल निरीक्षण और यहां तक कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के संदर्भ में अनुपालन के साथ सरकारी आदेश, 2002 के अधिनियम के संदर्भ में अनुमोदन ने वैधानिक आवश्यकताओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को 'मंजूरी' नहीं दी है।

अनुपालन। यह
प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने सराहना करने में गलती की है

iv.

सुविधा अधिनियम का दायरा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

1966 अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रक्रिया उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि राज्य की शक्ति

वी.

सरकार का 1966 के अधिनियम की धारा 28 (7) के तहत भूमि पर कब्जा करना कठोर है। हालाँकि, यह शक्ति एम/एस है।

M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

1966 के अधिनियम की धारा 28 (6) के संदर्भ में। यह केवल ऐसी घटना में इनकार करने पर है कि शक्ति

vi.

जबरन भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है।

एकल संस्था पात्र आवेदक होना

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने एक गंभीर अपराध किया है

vii.

परियोजना को दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करने में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि-जिसे एस. एच. एल. सी. सी. और भूमि लेखा परीक्षा समिति द्वारा भी मंजूरी दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय एक पैलेटाइजेशन और एकीकृत इस्पात संयंत्र को मंजूरी देने के नीतिगत निर्णय का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकता था।

viii.

उपरोक्त विवाद के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, किसी भी स्थिति में, यह है

प्रस्तुत किया कि एक एकल आवेदक एक योग्य आवेदक हो सकता है और इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

निष्कर्ष सामाजिक-आर्थिक लाभ की सराहना करने में विफल रहते हैं।

ix.

कर्नाटक राज्य के लिए और जो गठित होता है उसका दायरा

' सार्वजनिक उद्देश्य '।

15. ए. आई. एस. एल., कर्नाटक राज्य के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान परामर्शदाता

और के. आई. ए. डी. बी. ने श्री कृष्णन वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत दलीलों को प्रमुखता से अपनाया है और प्रस्तुत किया है कि खंड पीठ के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाए। यह उनका निवेदन है कि कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है।

16. प्रत्यर्थी की ओर से सं। 8 एम. एस. पी. एल. की अपील में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर एस. नाफडे ने दलीलें दीं। अन्य

ए. आई. एस. एल. की अपील में अन्य भूमि मालिकों की ओर से पेश वकीलों ने इसे अपनाया है। निजी उत्तरदाताओं की ओर से दिए गए तर्कों को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

एम. एस. पी. एल. और ए. आई. एस. एल. के पास कोई पर्यावरण मंजूरी नहीं थी।

ए।

जिसके अभाव में भूमि नहीं हो सकती थी

संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहित।

भूमि मालिक-उत्तरदाताओं ने कोई स्वीकार नहीं किया है

बी।

क्षतिपूर्ति।

सिर्फ इसलिए कि 90 प्रतिशत अधिग्रहणकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया है

सी।

क्षतिपूर्ति, जो एक अवैध अधिग्रहण को मान्य नहीं करता है।

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी।

यह 1996 के अधिनियम के बाद से सत्ता का एक रंगीन प्रयोग है।

पार्टियाँ।

ए. आई. एस. एल. एस. एच. एल. सी. सी. से पहले भी नहीं था और एकमात्र

ई.

आवेदक एम. एस. पी. एल. था। इसलिए, ए. आई. एस. एल. के लिए अधिग्रहण कानूनी रूप से गलत है।

डिवीजन बेंच ने मुद्दों पर विस्तार से विचार किया और यह सही है

आबन

1966 अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

17. जहाँ तक 2012 की सिविल अपील @एसएलपी (सी) संख्या 23351 का संबंध है, विद्वान वकील श्री अंकुर एस. कुलकर्णी ने इसका समर्थन किया।

श्री शेखर एस. नाफड़े के तर्क। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि डिवीजन बेंच का दिनांक 22.03.2012 का निर्णय कानून और तथ्यों पर सही है जैसे कि डिवीजन बेंच ने रिट अपील को खारिज कर दिया

14.12.2011 दिनांकित विवादित निर्णय ने एक त्रुटि की और इसलिए, इसे दरकिनार करने की आवश्यकता है।

18. यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि एम. एस. पी. एल., ए. आई. एस. एल., के. आई. ए. डी. बी. और राज्य सरकार द्वारा दायर अपीलों में निर्णय के परिणाम के आधार पर

कर्नाटक, जेराव डिवीजन बेंचनि अक्ट 'आई. डी. 1 नि थिरांथाखौ जुजिनाय जादों, सैयद अहमदनि गोजौनि दिभिनल आपिलनि खाफिसा जिरायगोन।

19. संबंधित प्रस्तुतियों से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले, दो राज्य अधिनियमों यानी 1966 अधिनियम और 2002 अधिनियम की एक संक्षिप्त रूपरेखा लिखी गई है।

1966 एक्ट करें।

20. 1966 के अधिनियम का उद्देश्य पहले से ही इस आदेश के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया है। यह औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए है। और आम तौर पर कर्नाटक राज्य के भीतर उद्योगों की स्थापना और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना।

(i) धारा 1 (3) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम अध्याय VII को छोड़कर तुरंत लागू हो जाएगा जो लागू होगा ऐसा क्षेत्र और ऐसी तारीख से जिससे राज्य सरकार

समय-समय पर अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करें।

एम/एस। M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

((ii) धारा 2 अधिनियम में उपयोग किए गए विभिन्न शब्दों और वाक्यांशों की परिभाषाओं से संबंधित है।

(iii) धारा 3 (1) के तहत, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकती है।

अधिनियम से। (iv) धारा 6 के तहत, वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड की स्थापना की जानी है। इसका संविधान उसमें प्रदान किया गया है और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

सचिव, वित्त विभाग;

सचिव, आवास और शहरी विकास;

आयुक्त, औद्योगिक विकास;

निदेशक, उद्योग और वाणिज्य;

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य

औद्योगिक निवेश और विकास निगम

सीमित;

अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

निदेशक, नगर योजना;

प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य लघु उद्योग

विकास निगम लिमिटेड;

निगम;

बोर्ड के कार्यकारी सदस्य; और

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के दो नामांकित व्यक्ति;

(v) बोर्ड के कार्यों की गणना धारा 13 में की गई है और बोर्ड की आगे की सामान्य शक्तियों को धारा 14 में वर्णित किया गया है।

1966 अधिनियम। इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 13. कार्य. - बोर्ड के कार्य होंगे -

(i) आम तौर पर तेजी और विकास में बढ़ावा देना और सहायता करना।

व्यवस्थित स्थापना, वृद्धि और विकास

उद्योग [और औद्योगिक अवसंरचना प्रदान करना]

औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएँ और सुविधा], और

((ii) विशेष रूप से, और इसके प्रति पूर्वाग्रह के बिना

खंड (i) से [2022] 14 एस. सी. आर. की व्यापकता।

(क) राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना और उन्हें उपक्रमों के लिए उपलब्ध कराना।

खुद को स्थापित करने के लिए;

(ख) स्थापना, रखरखाव, विकास और प्रबंधन

औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर औद्योगिक संपदाएँ;

(ग) ऐसी योजनाएं या कार्यक्रम शुरू करना -

अन्य निगमित निकायों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता है या

संस्थान, या सरकार या स्थानीय या वैधानिक के साथ

प्राधिकरण, या एक एजेंसी के आधार पर, जैसा कि यह मानता है

आवश्यक या वांछनीय, को आगे बढ़ाने के लिए

जिन उद्देश्यों के लिए बोर्ड की स्थापना की गई है और सभी के लिए

उससे जुड़े उद्देश्य।

14. बोर्ड की सामान्य शक्तियाँ। - प्रावधानों के अधीन

अधिनियम के अनुसार, बोर्ड के पास शक्ति होगी,

(क) ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण और धारण करना, दोनों चल और

बोर्ड के लिए आवश्यक के रूप में अचल

उसकी किसी भी गतिविधि का निष्पादन और उसके द्वारा धारण की गई किसी भी संपत्ति को पट्टे पर देना, बेचना, विनिमय करना या अन्यथा हस्तांतरित करना।

बोर्ड द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तें; (ख) समझौते द्वारा या पट्टे पर या किसी के तहत खरीद करना।

ऐसे भवनों के निर्माण और ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, किसी भी भूमि को किराये पर लेने का रूप

अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए; (ग) सुविधाएं प्रदान करना या प्रदान करना [औद्योगिक]

अवसंरचनात्मक सुविधाएँ] और औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य सुविधाएँ

इसके लिए कार्य और इमारतें; (घ) पट्टे पर या बिक्री या पट्टे पर भवन उपलब्ध कराना।

उद्योगपतियों या शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों को सह-बिक्री औद्योगिक उपक्रम;

(ई) के कर्मचारियों के आवास के लिए भवनों का निर्माण करना

(च) (i) औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय आवासों सहित उपयुक्त व्यक्तियों [परिसर या उसके कुछ हिस्सों] को आबंटित करना। बोर्ड द्वारा स्थापित या विकसित; एम/एस।

((iii) परिसर या उसके कुछ हिस्से पर कब्जा फिर से शुरू करना। औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय आवासों सहित, या

धारा 34 ख में उपबंधित तरीके से औद्योगिक संपदा।

(छ) अपनी किसी भी शक्ति को आम तौर पर या विशेष रूप से प्रत्यायोजित करना

कार्यकारी सदस्य;

(ज) ऐसे सभी अनुबंधों में प्रवेश करना और उनका पालन करना जो वह कर सकता है।

इनमें से किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझिए।

कार्य; और

((i) ऐसे अन्य कार्य करना और ऐसे कार्य करना जो वह कर सके। इसके उचित संचालन के लिए आवश्यक या समीचीन सोचें

कार्य, और इसके उद्देश्यों को लागू करना

एक्ट करें। (vi) अध्याय VII अधिग्रहण और निपटान से संबंधित है

भूमि। धारा 27 में प्रावधान है कि राज्य द्वारा अधिसूचित क्षेत्र धारा 1 (3) के तहत सरकार इस अध्याय पर लागू होगी।

अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी। धारा 28 और इसकी उप-धाराएँ (i) से (viii) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रदान करती हैं। धारा 29 मुआवजे के निर्धारण का प्रावधान करती है - अधिग्रहण की गई भूमि। धारा 30 में प्रावधान है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 प्रावधानों के संबंध में उत्परिवर्तन के साथ लागू होगा।

उपायुक्त द्वारा जांच और पुरस्कार के लिए,

न्यायालय का संदर्भ, विभाजन और मुआवजे का भुगतान। धारा 40 राज्य सरकार को बनाने की शक्तियाँ प्रदान करती है

2002 अधिनियमः 21. यह अधिनियम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था।

विनियामक को सरल बनाने के लिए नए निवेशों का संचालन और सुविधा प्रदान करना।

काम करते हैं। उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे दिया गया हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण-यह है -

पदोन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है

[2022] 14 एस. सी. आर. को कम करके विनियामक ढांचे के काम को सरल बनाने के लिए औद्योगिक विकास और नए निवेशों की सुविधा।

प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ और दस्तावेजों को तर्कसंगत बनाना और कर्नाटक राज्य में निवेशक अनुकूल वातावरण प्रदान करना। विधेयक में अन्य बातों के अलावा प्रावधान किया गया है -

निम्नलिखित, अर्थात्:

1. राज्य उच्च स्तरीय मंजूरी समिति का गठन,

राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति और

जिला स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति

इच्छुक उद्यमियों के आवेदन पर विचार राज्य में उद्योग स्थापित करना।

2. निवेश संवर्धन गतिविधियों को शुरू करने और आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल एजेंसी के रूप में कर्नाटक उद्योग मित्र और जिला स्तर पर नोडल एजेंसी में जिला उद्योग केंद्र की नियुक्ति।

और उद्यमियों को औद्योगिक स्थापना के लिए सहायता

राज्य में उपक्रम। 3. मौजूदा के बदले में संयुक्त आवेदन पत्र प्रदान करना

विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित प्रपत्र।

4.स्वयं को प्रस्तुत करके उद्यमियों को सुविधा प्रदान करना

संयुक्त जमा करने के समय प्रमाणन नोडल एजेंसी को आवेदन पत्र।

5. विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षणों को तर्कसंगत बनाना। 6. विभागों द्वारा मानित अनुमोदन प्रदान करना या

विलंब के मामले में अधिकारी।

7. इसका पालन करने में विफल रहने वाले उद्यमियों के लिए जुर्माना

स्वप्रमाणन में उपक्रम की शर्तें।

(i) धारा 3 (1) एस. एच. एल. सी. सी. की स्थापना के लिए प्रदान की गई है जिसमें ऐसे सदस्य शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा एकल बिंदु मंजूरी समिति के रूप में काम करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। उप-धारा (2) के तहत, एसएचएलसीसी को किसी भी उद्यम की स्थापना से संबंधित किसी भी उद्यमी से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की जांच और विचार करना था।

राज्य में औद्योगिक या कोई अन्य परियोजना जिसमें न्यूनतम निवेश Rs.100 करोड़ या उससे अधिक हो। एस. एच. एल. सी. सी. के कार्य धारा 4 में दिए गए हैं और इसकी शक्तियां धारा 5 में दी गई हैं। (ii) धारा 6 के तहत, राज्य सरकार मेसर्स द्वारा एक राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति (एस. एल. एस. डब्ल्यू. सी. सी.) को अधिसूचित किया जाना है।

जिसके पास Rs.15 करोड़ से अधिक लेकिन Rs.100 करोड़ से कम के निवेश के साथ प्रस्तावों से निपटने की शक्ति है। एस. एल. एस. डब्ल्यू. सी. सी. की शक्तियाँ धारा 7 और धारा 8 में प्रदान की गई हैं।

(iii) इसी तरह, एक जिला स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति (डी. एल. एस. डब्ल्यू. सी. सी.) होगी जो निवेश से संबंधित कार्य करेगी।

Rs.15 करोड़ और इसके कार्यों और शक्तियों को पैराग्राफ 10 और 11।

(iv) धारा 11 (ए) के तहत, सरकार एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन कर सकती है, जिसकी अध्यक्षता सरकार द्वारा की जानी थी।

राज्य के मुख्य सचिव, 10 विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों के साथ, के. एस. पी. सी. बी. के अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक और राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएँ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी

के. आई. ए. डी. बी. के सदस्य और औद्योगिक आयुक्त

विकास और उद्योग और वाणिज्य निदेशक इसके रूप में

सदस्य।

(v) धारा 12 और उसके कार्यों के तहत राज्य स्तर पर नोडल एजेंसियों, कर्नाटक उद्योग मित्र के लिए भी प्रावधान किया गया था।

धारा 13 के तहत गणना की गई।

(vi) धारा 14 में राज्य सरकार द्वारा सभी मंजूरी समितियों को निर्धारित मंजूरी प्राप्त करने के लिए उद्यमियों के उपयोग के लिए एक संयुक्त आवेदन पत्र का प्रावधान है। (vii) धारा 17 मंजूरी के मामले में मानित अनुमोदन का प्रावधान करती है।

निर्धारित समय के भीतर जारी नहीं किया जाता है।

(viii) धारा 18 किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपील के लिए प्रदान की गई है।

उपर्युक्त समितियों के निर्णय द्वारा।

22. वर्तमान मामले में जैसा कि घटनाओं के कालक्रम में कहा गया है, एल ने शुरू में 2002 के अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया था। राज्य सरकार द्वारा उक्त आवेदन की अवहेलना के दौरान, एम. एस. पी. एल. ने एम. एस. पी. एल. की पूर्ण स्वामित्व वाली डायरी ए. आई. एस. एल. को शामिल करके दोनों उद्योगों की अपनी परियोजनाओं को पूरा किया। ए. आई. एस. एल. की शुरुआत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और ए. आई. एस. एल. द्वारा भी आवश्यक आवेदन दिए गए थे। एस. एच. एल. सी. सी. ने पहले दोनों परियोजनाओं और एक को मंजूरी दी थीसंशोधन 1966 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए थे। ओ. बी. ने एस. एच. एल. सी. सी, कर्नाटक [2022] 14 एस. सी. आर. की सिफारिशों पर विचार किया।

उद्योग मित्र और राज्य सरकार ने तदनुसार अधिग्रहण किया 1966 के अधिनियम की धारा 28 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूमि।

23. एम. एस. पी. एल. और ए. आई. एस. एल. के लिए भूमि का यह अधिग्रहण है

इन कार्यवाहियों में चुनौती के तहत। डिवीजन बेंच ने अधिग्रहण के साथ-साथ 1966 अधिनियम की धारा 28 के साथ धारा 1 (3) और धारा 3 (1) के तहत अधिसूचनाओं को भी रद्द कर दिया, जो अब अपीलों के वर्तमान समूह में विचार के लिए है।

24. विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर,

हमारे विचार के लिए इन अपीलों में निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

(I) पर्यावरण मंजूरी के अभाव में,

विचाराधीन अधिग्रहण हो सकता था?

(II) क्या अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए दूषित किया गया था

अनुचित जल्दबाजी और सक्षम द्वारा मन का गैर-अनुप्रयोग अधिकारी?

(III) क्या 1966 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया

उचित रूप से पालन किया गया था? (IV) क्या किसी एकल कंपनी के लिए अधिग्रहण को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कहा जा सकता है और इसके तहत किया जा सकता है

1966 एक्ट?

(V) क्या अधिग्रहण किसी गैर-आवेदक के लिए किया जा सकता है।

1966 के अधिनियम के तहत ए. आई. एस. एल. के आवेदन को रद्द किए बिना

एसएचएलसीसी के माध्यम से।

(VI) क्या महाराष्ट्र के साथ तुलना

निर्णय पर निर्भरता रखते हुए औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962

श्री रामतनु को-ऑप के मामले में इस न्यायालय का। आवास

सोसायटी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (197) 3 में रिपोर्ट किया गया

विवादित फैसले में एस. सी. सी. 323 सही है?

(VII) क्या विवादित निर्णय में आए निष्कर्ष मूल्य निर्णयों को शामिल करने के कारण दूषित होते हैं।

उच्च न्यायालय के नीतिगत विचारों के बारे में?

(VIII) क्या अधिग्रहित भूमि का एक अंश रखने वाले भूमि मालिकों के एक अंश द्वारा याचिका पर पूरे अधिग्रहण को रद्द किया जा सकता है।

कौन सी भूमि कुल अधिग्रहित भूमि का केवल 10 प्रतिशत या उससे कम है?

ए. पर्यावरण मंजूरी।

25. ऑन रिकॉर्ड पर्यावरण मंजूरी दी गई है

23.09.2016 पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, जिसकी प्रति मेसर्स में 2017 के आई. ए. No.118035 के साथ दाखिल की गई है।

M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

एम. एस. पी. एल की अपील। इससे पहले, मंत्रालय ने स्वयं दिनांकित अधिसूचना के पैराग्राफ-2 14.09.2006 के माध्यम से यह प्रावधान किया था कि कोई पर्यावरण नहीं है

भूमि सुरक्षित करने के लिए एम. ओ. ई. एफ. से मंजूरी की आवश्यकता थी। यह भी हो सकता है यहां यह ध्यान देने योग्य है कि के. एस. पी. सी. बी. ने अपनी मंजूरी दे दी थी और दिनांकित संचार के माध्यम से संयंत्र की स्थापना के लिए बहुत पहले कोई आपत्ति नहीं थी।

02.08.2008 . इसके अलावा, कर्नाटक सरकार के पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने 01.10.2010 पर मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा, एमओईएफ मंत्रालय ने 08.09.2014 दिनांकित एक आदेश जारी किया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि संयंत्र का संचालन जारी रखा जा सकता है। इसके बाद, के. एस. पी. सी. बी. ने 16.10.2014 दिनांकित एक आदेश जारी किया जिसमें एम. एस. पी. एल. को 07.12.2014 द्वारा संदर्भ की शर्तों के लिए आवेदन करने और उनसे पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। एम. ओ. ई. एफ. एक वर्ष के भीतर। एम. एस. पी. एल. ने तदनुसार संदर्भ की शर्तों के अनुसार आवेदन किया और एम. ओ. ई. एफ. द्वारा दिनांक 23.09.2016 के संचार के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आज की तारीख तक कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से कोई पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र नहीं है क्योंकि यह पहले ही 23.09.2016 पर जारी किया जा चुका है।

बी. मन का गैर-अनुप्रयोग और अनुचित जल्दबाजी।

26. घटनाओं के कालक्रम से जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि एस. एच. एल. सी. सी. ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद संकल्प लिया था कि

परियोजना को मंजूरी दी और तदनुसार सिफारिशें की थीं। इसके बाद, के. आई. ए. डी. बी. ने एस. एच. एल. सी. सी. की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उसे उच्चतम स्तर पर सरकार की उचित मंजूरी भी मिल गई। स्थापना के लिए एम. एस. पी. एल. (प्रारंभिक आवेदक) द्वारा बनाया गया विभाजन दो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा दो उद्योगों को के. आई. ए. डी. बी. और सरकार की उचित मंजूरी भी थी।

27. मूल रिट याचिकाकर्ताओं (भूमि मालिकों) ने 1966 के अधिनियम की धारा 1 (3), 3 (1) और 28 (1) के तहत अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी। कोई आधार नहीं था

दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाते हुए याचिकाओं में न तो कोई नींव रखी गई और न ही रखी गई। 2002 के अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से 2002 के अधिनियम के तहत गठित उच्च स्तरीय समितियों द्वारा एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करना था। हमने विभिन्न समितियों के साथ-साथ राज्य सरकार की रिपोर्टों और सिफारिशों को देखा है और हमने पाया है कि इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है और परियोजना और प्रस्तावों के समग्र परिप्रेक्ष्य पर एक सचेत निर्णय लिया गया है

प्रस्तुत किया।

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. एस. एच. एल. सी. सी. की दिनांक 1 की बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रियों और

बैठक में सचिव भी उपस्थित थे। पूरी परियोजना की पृष्ठभूमि सहित विभिन्न शीर्षों के तहत चर्चा की गई थी

सुविधाएं, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी, स्थानीय रोजगार, पानी की खपत, बिजली की खपत और प्रोत्साहन और रियायतें।

29. इसके बाद सरकारी आदेश 22.12.2005 पर जारी किया गया था जिसमें प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया गया था और उचित मंजूरी दी गई थी

पेलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना के साथ-साथ कुल 1 करोड़ रुपये के निवेश और उत्पादन के साथ एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए

एक हजार लोगों को रोजगार। 30. इसके बाद, 1966 अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भूमि लेखा परीक्षा समिति ने 28 जनवरी, 2006 की अपनी बैठक में, जिसकी अध्यक्षता -

प्रधान सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग और

विशेष आमंत्रित लोगों के साथ अन्य संबंधित विभागों के सचिवों ने भी विषय वस्तु संख्या 2.5 पर दोनों संयंत्रों के लिए एम. एस. पी. एल. द्वारा प्रस्तुत परियोजना के संबंध में एक सचेत निर्णय लिया और 1034 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और के. आई. ए. डी. बी. को इसकी सूचना देने की सिफारिश की। इसके बाद राज्य स्तर की नोडल एजेंसी यानी कर्नाटक उद्योग मित्र ने कार्यवाही पर विचार करने के बाद अपनी दिनांकित 15.02.2006 की बैठक में एस. एच. एल. सी. सी. दिनांक 6 जून, 2005 और भूमि लेखा परीक्षा समिति दिनांक 28.01.2006 ने 1034 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

31. इन पहलुओं की जाँच इस न्यायालय द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बी. पी. एल. लिमिटेड में की गई थी। बनाम। एस. पी. गुरुराजा, (2003) 8 एस. सी. सी. 567 में रिपोर्ट किए गए।

यह माननीय न्यायालय ऐसी ही स्थिति से निपट रहा था जिसमें अपीलार्थी को मंजूरी देने और उसमें भूमि अधिग्रहण करने के लिए एक राज्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी गई थी।

ब्याज मुकदमेबाजी। इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया कि

17. कंपनी का इरादा एक से अधिक इकाइयाँ स्थापित करने का था। के लिए

आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति

राज्य का विकास, राज्य को इससे निपटने का अधिकार है उद्यमियों का उचित तरीके से आवेदन। उक्त उद्देश्य के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने 10.10.1994 पर अपनी बैठक आयोजित की जिसमें एम/एस.

M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

न केवल इसमें पहले उल्लिखित सदस्य बल्कि विभिन्न अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। संभवतः, इससे पहले कंपनी द्वारा दायर आवेदनों की सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। विस्तृत चर्चा के बाद, उच्च स्तरीय समिति ने निर्णय लियाः (a) इकाई को बदलने की अनुमति देना

मालूर इंडल से स्थान। क्षेत्र। डोबेसपेट औद्योगिक क्षेत्र को; (बी) तीन परियोजनाओं के लिए कुल 500 एकड़ भूमि आवंटित करना। , रंगीन चित्र ट्यूब, रंगीन टेलीविजन और बैटरी, डोबेसपेट औद्योगिक क्षेत्र, नेलमंगला में, कलर टीवी सेट परियोजना के लिए मालूर इंडल क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि के पहले के आवंटन के बदले में, प्रवर्तकों द्वारा रंगीन चित्र ट्यूब के लिए व्यक्तिगत भूमि की आवश्यकता को इंगित करने के अधीन।

परियोजना, रंगीन टीवी परियोजना और आवश्यक योजनाओं, ब्लॉक आरेखों आदि के साथ आवश्यकता को उचित ठहराते हुए बैटरी परियोजना।

18. कंपनी की रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब परियोजना के संबंध में भी इसी तरह के विचार किए गए थे और

बैटरियों का निर्माण। भूमि के आवंटन से संबंधित मामला बोर्ड की ओर से एक वैधानिक कार्य है। अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, राज्य के साथ परामर्श

सरकार की आवश्यकता है यदि विनियमों का विनियम 13

विनियम 7 के स्थान पर इसका सहारा लिया जाना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि परामर्श एक विशेष तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, यानी पत्राचार के आदान-प्रदान से और किसी अन्य तरीके से नहीं? जवाब दीजिए।

उक्त प्रश्नों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मंत्री ने की थी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत बनाए गए कार्यकारी कार्य के नियमों के संदर्भ में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के हकदार थे। एक बार जब आपसी चर्चा से परामर्श होता है और विभिन्न प्राधिकरणों के बीच आम सहमति बन जाती है

विधियों के तहत विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परामर्श किया जाना था, वह संतुष्ट होगा। अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत, इस तरह के परामर्श आयोजित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी।

उस स्थिति में सक्षम अधिकारियों के लिए अपनी प्रक्रिया विकसित करना खुला था। विचार-विमर्श पर निर्णय लेने की ऐसी प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं है। तत्काल मामले में तथ्य की दुर्भावना का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय में निष्कर्ष

विवेक का उपयोग न करने और श्री नाफडे के उपरोक्त प्रभाव के प्रति समर्पण के संबंध में कायम नहीं रखा जा सकता है।

33. जहाँ तक 1966 के अधिनियम की धारा 1 (3), 3 (1) और 28 (1) के तहत अधिसूचनाएँ उसी तारीख को जारी की जा रही हैं, यह ध्यान दिया जा सकता है कि

उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कानून इसे प्रतिबंधित नहीं करते हैं। इसके अलावा, इस अदालत ने उप महाप्रबंधक (एच. आर. एम.) और एक अन्य बनाम मुदप्पा और अन्य के मामले में भी इस मुद्दे पर विचार किया है।

2007 (9) एस. सी. सी. 768 में सूचित किया गया। उक्त निर्णय का पैरा 30 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" हमारे फैसले में, विद्वान एकल न्यायाधीश पूरी तरह से थे

इस तरह के दृश्य को लेने और अधिसूचना को रद्द करने में त्रुटि।

इस तरह के दृष्टिकोण को बनाए रखने से वैधानिक प्रावधान बनेंगे।

अधिनियम या अन्य कानूनों में इसी तरह के प्रावधानों के तहत, (उदाहरण के लिए,

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894) निरर्थक और अनुचित है। हमारा यह भी विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश सही नहीं था

अधिसूचना जारी करने में राज्य प्राधिकरणों के साथ दोष ढूंढना

धारा 1 (3), धारा 3 (1) और धारा 28 (1) के तहत

एक साथ। इस तरह की अधिसूचना जारी करने पर कोई रोक नहीं है

जैसा कि किया गया है और हमें कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया है

प्रतियोगी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील जो

राज्य को ऐसा करने से रोका। यहाँ तक कि उस जमीन पर भी,

जमीन मालिकों की मदद नहीं कर सकते।

34. उपरोक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (सी) में पारित अपने हाल के आदेश दिनांक 28.01.2020 में मंजूरी दी है।

नहीं। 9662 2013 का (सी. जयराम और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य)।

ग. 1966 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गयाः

35. जैसा कि फैसले के पहले भाग में दी गई घटनाओं के कालक्रम से पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपत्तियां 1966 के अधिनियम की धारा 28 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आमंत्रित की गई थीं और वे विधिवत थीं। विचार किया गया और निपटाया गया, इस प्रकार, यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि आपत्तियों को अधिग्रहण को दूषित करने वाला नहीं माना गया है। इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भूमि लेखा परीक्षा समिति ने अपनी दिनांक 1 की बैठक में 1034 एकड़ भूमि के अनुदान को मंजूरी दी, जिसे राज्य नोडल एजेंसी, मैसर्स द्वारा विधिवत स्वीकार और अनुमोदित किया गया था।

M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

कर्नाटक उद्योग मित्र ने अपनी बैठक दिनांक 15.02.2006 में और विधिवत

अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए के. आई. ए. डी. बी. को सम तिथि के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। इसके बाद 1966 के अधिनियम की धारा 3 (1), 1 (3) और 28 (1) के तहत अधिसूचनाएं 09.11.2006 पर जारी की गईं। उक्त अधिसूचनाओं के एक साथ प्रकाशन को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है

किसी भी अवैधता या अनियमितता से पीड़ित। 36. 1966 के अधिनियम की धारा 28 (1) के तहत अधिसूचना के अनुसार, आपत्तियों को आमंत्रित करने और निपटाने के बाद आगे के कदम उठाए गए

उसी की अंतिम घोषणा की गई, मुआवजे का निर्धारण किया गया और उसके बाद कब्जा ले लिया गया। यहां यह भी बताना प्रासंगिक होगा कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि भूमि का अधिग्रहण राज्य के नाम पर किया गया था, उसके बाद के. आई. ए. डी. बी. को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसने इसे क्रमशः एम. एस. पी. एल. और ए. आई. एस. एल. को आवंटित करने के लिए आगे बढ़ाया और तदनुसार, पट्टा विलेखों को निष्पादित किया गया। अधिनियम के तहत प्रदान की गई पूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है। खंड पीठ ने विवादित फैसले में स्पष्ट रूप से धारणाओं के आधार पर अपने व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित था और इसका कोई भौतिक समर्थन नहीं था जिसके कारण अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया।

घ. एकल कंपनी के लिए अधिग्रहण।

37. के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 28 (1) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

" 28. भूमि अधिग्रहण। - (1) यदि किसी भी समय, राज्य सरकार की राय में, किसी भी भूमि की आवश्यकता है

बोर्ड द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए विकास

इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार

अधिसूचना द्वारा, अधिग्रहण करने के अपने इरादे की सूचना दी जा सकती है

ऐसी भूमि "। [जोर दिया गया]

बोर्ड द्वारा विकास के उद्देश्य के लिए और या इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए शब्द यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार की राय में भूमि अधिग्रहण करने का इरादा केवल विकास के उद्देश्य से नहीं हो सकता है

बोर्ड लेकिन इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में किसी अन्य उद्देश्य के लिए। यह के. आई. ए. डी. बी. द्वारा विकास से परे भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति देता है। इसके अलावा, धारा 41 के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम विशेष रूप से विनियम 13 में इस पहलू से संबंधित हैं जो नीचे दिया गया है;

" विशेष मामलों में भूखंडों का आवंटनः इसके बावजूद

इन विनियमों में निहित कुछ भी, बोर्ड में

राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कोई भी भूखंड या [2022] 14 एस. सी. आर. आवंटित किया जा सकता है।

जिनके संबंध में आवेदन हैं, उनके अलावा अन्य क्षेत्र किसी भी व्यक्ति या कंपनी को विनियमन 7 के तहत बुलाया गया

उद्योग की स्थापना के लिए या इसके प्रावधान के लिए

औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक कोई भी सुविधा। [जोर दें।

प्रदान किया गया]

38. उपरोक्त विनियमों के तहत, बोर्ड को राज्य सरकार के परामर्श से किसी भी व्यक्ति या कंपनी को लॉट या क्षेत्र आवंटित करने का अधिकार है। यह प्रावधान एक उद्योग स्थापित करने के लिए एक ही दल को आवंटन के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण का भी उल्लेख करता है। वर्तमान मामले में, डी द्वारा आवंटन राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित है।39. इसी संदर्भ में, पी. नारायणप्पा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

(2006) 7 एस. सी. सी. 578 में दर्ज किया गया, जहां इसने 1966 के अधिनियम के तहत एक निजी कंपनी के भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा। पैराग्राफ 6,13 और

उक्त निर्णय नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 6. श्री शांति भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलकर्ताओं ने विवादित अधिसूचनाओं को चुनौती दी है

कई आधार और प्रमुख आधार यह है कि विकास टेलीकॉम (पी) लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 9) नामक एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसने एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

इसमें एक आई. टी. प्रशिक्षण संस्थान/इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है।

अनुसंधान और विकास केंद्र, शैक्षिक केंद्र,

वाणिज्यिक और आवासीय भवन और सेवा अपार्टमेंट, कन्वेंशन सेंटर, होटल, शॉपिंग मॉल आदि।

13. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण का प्रावधान धारा 28 में निहित है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4,5 ए और 6 में निहित प्रावधानों से कुछ अलग है। विधायिका ने अपने विवेक में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 का सहारा लेने के बजाय अधिनियम में ही भूमि अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करना उचित समझा। धारा 28 की उप-धारा (1) के सरल अध्ययन से पता चलता है कि भूमि का अधिग्रहण (i) बोर्ड द्वारा विकास, या (ii) अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उप-धारा एम/एस।

(3) धारा 28 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 ए के समान है और अंतिम अधिसूचना उप के तहत जारी की जाती है।

धारा 28 की धारा (4)। धारा 28 की उप-धारा (4) के तहत एक वैध अधिसूचना के लिए आवश्यक पूर्व शर्त यह है कि राज्य सरकार को संतुष्ट होना चाहिए कि भूमि

जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक उप-धारा (1) के तहत, अर्थात। , (i) विकास के उद्देश्य के लिए

बोर्ड द्वारा, या (ii) अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इसलिए, अधिसूचना की वैधता का न्याय करने के लिए जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या भूमि का अधिग्रहण की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है

औद्योगिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना या व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना। अधिनियम की धारा 2 (7 ए) में निहित "औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं" की व्यापक परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, एक प्रौद्योगिकी पार्क, अनुसंधान और विकास केंद्र, टाउनशिप, व्यापार और पर्यटन केंद्रों का निर्माण या विपणन और बैंकिंग के लिए प्रावधान करना जो विकास में योगदान देगा। उद्योग अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करेंगे और इस तरह के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण पूरी तरह से वैध होगा।

14 ..... धारा 28 की उप-धारा (1) स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भूमि का अधिग्रहण (i) बोर्ड द्वारा विकास के लिए; या (ii) अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। धारा 28 की उप-धारा (8) के तहत, राज्य सरकार को भूमि का कब्जा लेने के बाद, उस उद्देश्य के लिए बोर्ड को हस्तांतरित करने का अधिकार है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। धारा 32 राज्य सरकार को बोर्ड में निहित किसी भी भूमि को बोर्ड के निपटान में रखने का अधिकार देती है और बोर्ड को इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों और दिए गए निर्देशों के अनुसार भूमि से निपटने का आदेश दिया जाता है। यह चरण जब बोर्ड को मिलता है

भूमि से निपटने का अधिकार बाद के चरण में आता है जो उसके द्वारा भूमि विकसित करने के बाद होता है। एक उद्यमी या एक कंपनी एक उद्योग या अवसंरचनात्मक सुविधा स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव दे सकती है और

इसके बाद सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है और उसे दे सकती है।

बोर्ड। यह भी संभव है कि बोर्ड द्वारा भूमि का अधिग्रहण और विकास किए जाने के बाद, इसे किसी उद्यमी या कंपनी को उद्योग [2022] 14 एस. सी. आर. स्थापित करने के लिए आवंटित किया जा सकता है।

या अवसंरचनात्मक सुविधा। इसलिए, अधिनियम की योजना यह नहीं दर्शाती है कि भूमि के अधिग्रहण और धारा 28 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के समय

अधिनियम, उद्योग की प्रकृति का पूरा विवरण या

प्रस्तावित अवसंरचनात्मक सुविधा भी स्थापित की जानी चाहिए

उल्लेख किया है। उस स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि क्या

बोर्ड द्वारा या किसी के लिए विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) में उल्लिखित है। वास्तव में, यदि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया तर्क अपीलार्थी स्वीकार किए जाते हैं, इसका मतलब यह होगा कि अधिनियम की धारा 28 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के चरण में भी,

गतिविधि की प्रकृति जो कुछ लोगों द्वारा की जा सकती है

उद्यमी या एक कंपनी जो एक प्रस्ताव दे सकती है

एक उद्योग या अवसंरचनात्मक सुविधा की स्थापना बहुत बाद में

अधिग्रहण की गई भूमि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और

अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जो लगभग असंभव है। अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न्यायालय को केवल इन तथ्यों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए -

वर्तमान मामला लेकिन सभी संभव बातों को ध्यान में रखना चाहिए आकस्मिकताएँ। इसलिए, अधिनियम में उपयोग की गई भाषा को सीधे पढ़ने पर, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि विवादित अधिसूचना अस्पष्ट या गुप्त है क्योंकि विकास टेलीकॉम (पी) लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 9) द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजना के पूर्ण विवरण का उल्लेख नहीं किया गया था और उपरोक्त कमी के कारण, भूमि मालिकों को उचित प्रतिनिधित्व करने या प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ कारण दिखाने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया था। [जोर दिया गया]

40. इसलिए, डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त विचार कि किसी एक कंपनी के लिए कोई शर्त नहीं बनाई जा सकती है, को कायम नहीं रखा जा सकता है।

गैर-आवेदक के लिए ई-अधिग्रहण (ए. आई. एस. एल.)।

41. यह विवादित नहीं है कि ए. आई. एस. एल. (गैर-आवेदक) एम. एस. पी. एल. (आवेदक) की पूर्ण स्वामित्व वाली डायरी है। वास्तव में, ए. आई. एस. एल. उन्हीं प्रवर्तकों द्वारा बनाई गई एक नई कंपनी है। राज्य सरकार ने अपनी सरकार दिनांक 22.12.2005 में संशोधन के लिए एम. एस. पी. एल. और ए. आई. एस. एल. की स्थिति की भी जांच की। इसने विभिन्न शीर्षों के तहत विभाजन की जांच की। सरकार ने मेसर्स को विभाजित करने का सरकारी आदेश दिनांक 22.03.2006 जारी किया।

M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

सरकारी आदेश दिनांक 22.12.2005 में उल्लिखित अन्य सभी नियमों और शर्तों के साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे

यह दोनों कंपनियों पर लागू होगा। एम. एस. पी. एल. द्वारा एकमात्र बदलाव की मांग की गई थी कि ए. आई. एस. एल. द्वारा एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाए जो इसकी अपनी सहायक कंपनी थी। ये वाणिज्यिक मामले हैं और इसके बाद राज्य

इसके ज्ञान में परिवर्तन के प्रस्ताव की जांच करने पर इसे स्वीकार कर लिया गया। परियोजना में वित्त, रोजगार और अन्य बुनियादी ढांचे के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया था। श्री नाफडे द्वारा उपरोक्त प्रभाव पर उठाई गई आपत्ति विचार के योग्य नहीं है।

एफ. श्री रामतनु निर्णय की प्रासंगिकताः

42. विवादित निर्णय ने इस प्रस्ताव के लिए श्री रामतनु (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर भरोसा रखा है कि

1966 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1962 के समान था और इसलिए, अधिग्रहण केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए न कि किसी निजी कंपनी के लिए। शुरुआत में, यह दर्ज किया जा सकता है कि श्री रामतनु (उपर्युक्त) के मामले में 1962 के अधिनियम की वैधता पर विचार किया जा रहा था। वर्तमान मुकदमे में 1966 के अधिनियम या 2002 के अधिनियम की वैधता को कोई चुनौती नहीं है। इसके अलावा, 1962 के अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य व्यवस्था को सुरक्षित करना था।

महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों और उद्योगों के औद्योगिक राज्य में स्थापना जबकि 1966 के अधिनियम का उद्देश्य और प्रस्तावना उद्योगों (औद्योगिक क्षेत्रों में) की स्थापना और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना था। इस न्यायालय ने 1962 के अधिनियम पर विचार करते हुए श्री रामतनु (उपर्युक्त) के पैरा 21 में इस पहलू पर चर्चा की, जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने तर्क दिया कि

भूमि अधिग्रहण के बीच प्रक्रियात्मक भेदभाव

वर्तमान मामले में अधिनियम और अधिनियम। यह कहा गया था कि कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा एक विशेष प्रक्रिया तैयार की गई थी, जबकि वर्तमान मामले में राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम की प्रक्रिया को अपनाए बिना कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहा था। यह याद रखना चाहिए कि वर्तमान मामले में अधिनियम एक विशेष है।

महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों के विकास, विकास और संगठन का विशिष्ट और विशेष उद्देश्य है। अधिनियम की अपनी प्रक्रिया है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की तरह किसी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान मामले में [2022] 14 एस. सी. आर.

कोई भी कंपनी लेकिन विकास, संगठन और औद्योगिक संपदाओं और औद्योगिक संपदाओं के विकास के एकमात्र उद्देश्य के लिए क्षेत्रों। इस अधिनियम को सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अव्यवस्थित विकास के विपरीत एक नियोजित औद्योगिक शहर बनाने के लिए बनाया गया है।

राज्य के कुछ भाग। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के विकसित हिस्सों में उद्योगों के विकास को रोकना है। इसलिए राज्य के विकासशील या नए हिस्सों में उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए जहां नए औद्योगिक शहरों को अस्तित्व में लाया जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य नियोजित क्षेत्रों को तैयार करना है

उद्योग. एक तरफ इंजीनियरिंग उद्योग होंगे और दूसरी तरफ रासायनिक उद्योग होंगे। उद्योगों का स्थानीयकरण होगा जिसके परिणामस्वरूप कस्बों और शहरों के निवासियों और निवासियों को प्रदूषित हवा या अप्रिय से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। उद्योगों के रसायन या आवासीय क्षेत्रों के भीतर और आसपास उद्योगों और औद्योगिक आबादी की सघन वृद्धि। भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है और इसलिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण और कंपनियों के लिए राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए विशिष्ट प्रावधान है। वर्तमान में

दूसरी ओर अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य तैयार किया गया है

औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक संपदाओं का विकास और

राज्य के भीतर उद्योगों का विकास और विकास। औद्योगिक उपक्रम या व्यक्ति जो इसमें लगे हुए हैं

सभी उद्योग इन सुविधाओं के हकदार हो जाते हैं।

औद्योगिक विकास। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण किसी कंपनी के कहने पर और उसके लाभ के लिए किया जाता है, जबकि वर्तमान अधिनियम के तहत अधिग्रहण केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा किया जाता है। दोनों कार्य स्थितियों में भिन्न हैं और

परिस्थितियाँ "। [जोर दिया गया]

43. इस प्रकार, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1962 के अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों के शोधन के लिए था, जबकि अन्य क़ानून यानी 1966 में स्थापना और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए था। इस प्रकार, श्री रामतनु (उपरोक्त) के मामले में खंड पीठ द्वारा विवादित पीठ पर निर्भरता गलत है।

एम/एस। M.S.P.L. सीमित v. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे।]

ग. नीतिगत विचारों के मूल्य निर्णय। 44. ऐसा प्रतीत होता है कि खंड पीठ ने विवादित फैसले में

ओरी व्याख्या के सिद्धांतों के प्रति उचित सम्मान में अपने स्वयं के दर्शन से प्रभावित। क़ानून को उसकी सरल भाषा में पढ़ा जाना चाहिए। उद्योगों का विकास विकास का हिस्सा है। सभी पहलुओं का एक अक्षम विकास और अस्तित्व होना चाहिए और इसलिए, कानून बनाए गए हैं, चेक और संतुलन लागू किया गया है ताकि ऑपरेशन संरक्षण और संरक्षण उपचार और पर्यावरण के साथ-साथ हो। विवादित फैसले के कुछ उद्धरणडिवीजन बेंच ने अपने व्यक्तिगत नीतिगत विचार व्यक्त किए थे और

निर्णयों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" यद्यपि 'विकास' शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब इस शब्द की वस्तुनिष्ठ तरीके से, भावपूर्ण तरीके से जांच की जाती है, तो यह प्रकृति की मौजूदा स्थिति में हस्तक्षेप करने और नादानी को नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है! (P.90-91)

" कोई भी उद्योग अनिवार्य रूप से प्रदूषण पैदा करता है और इसका कारण बनता है

भूमि, वायु और जल। "(पृ. 91)

" दुर्भाग्य से, कुल मिलाकर, अदालतें पक्षपाती रही हैं।

अधिग्रहण और आम तौर पर अनुमोदित या बरकरार रखा है

जनहित के नाम पर अधिग्रहण की कार्यवाही। (पी. 96) " जब इस तरह के टचस्टोन पर जांच की जाती है और इस तरह के परीक्षणों को लागू किया जाता है, तो हम पाते हैं कि वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही टिक नहीं सकती है। प्रभाव बहुत प्रतिकूल है और लाभ अगर किसी भी भविष्य के विकास के कारण एक वापसी है

रोजगार की कुछ संभावनाओं वाला उद्योग और राज्य के लिए थोड़ा राजस्व हो सकता है। हजारों लोगों की आजीविका और गरिमापूर्ण जीवन पर प्रभाव जिसकी जांच नहीं की जाती है, यह केंद्र बिंदु भी नहीं है, कम से कम इस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए जिसका वह हकदार है "(P.105) " ..... [ए] और सीमित कंपनियों का इतिहास बहुत प्रसिद्ध होने के साथ, हालांकि अंग्रेज दावा करते हैं कि संयुक्त स्टॉक कंपनी का आविष्कार अंग्रेजी कानूनी दिमाग की प्रतिभा है जब इस अवधारणा की जांच इस देश और समाज में प्रचलित धारणा से की जाती है और हमारे समाज के लोकाचार से जांच की जाती है, तो यह धोखे या धोखाधड़ी से कम नहीं है। (P.106)

2] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" एक संयुक्त स्टॉक कंपनी का आविष्कार केवल लेनदारों को धोखा देने के लिए किया जाता है।

(P.106-107)

" आइए हम विकास के नाम पर अपनी आत्मा न खोएं।

भूमि धारकों को उनकी भूमि जोत से वंचित करना। " (P.108)

45. उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डिवीजन बेंच ने कई मूल्य निर्णय और नीतिगत विचार पेश किए ताकि

1966 के अधिनियम और 2002 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करें। यह केवल सावधानी के उपाय के रूप में है कि उक्त पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह के मूल्य निर्णय और नीतिगत विचार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। न्यायालयों को मूल्य निर्णय व्यक्त करने से बचना चाहिए और

कानूनों की व्याख्या करने के लिए नीतिगत विचार। क़ानूनों को उनकी साधारण भाषा में पढ़ा जाना चाहिए और अन्यथा नहीं। निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है:

(i) रेजिना बनाम बार्नेट लंदन बरो काउंसिल; (1983) 1

ए. आई. आई. ई. आर. 226;

((ii) भारत संघ बनाम एल्फिंस्टन कताई और बुनाई

कंपनी लिमिटेड ; (2001) 4 एस. सी. सी. 139 (पैरा 17)

(iii) डी. आर. वेंकटचलम बनाम। परिवहन आयुक्त;

(1977) 2 एस. सी. सी. 273 (पैरा 29)
(iv) पद्म सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य; (2002) 3

एस. सी. सी. 533 (पैरा 13);

(v) हरभजन सिंह बनाम भारतीय प्रेस परिषद; (2002) 3

एस. सी. सी. 722 (पैरा 11) और

(vi) यूनिक बुटाइल ट्यूब इंडस्ट्रीज बनाम। यू. पी. वित्तीय

निगम; (2003) 2 एस. सी. सी. 455 (पैरा 12)। एच. अल्पसङ्ख्यक (10 प्रतिशत) द्वारा भूमि अधिग्रहण की चुनौती

मालिकों।

46. यह माना जाता है कि एक हजार एकड़ से अधिक के अधिग्रहण को चुनौती कुल अधिग्रहण के 10 प्रतिशत से कम भूमि वाले भूमि मालिकों के एक छोटे से हिस्से द्वारा दी गई थी। अधिग्रहित शेष 90 प्रतिशत भूमि के लिए क्षतिपूर्ति उनके संबंधित भूमि मालिकों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। डिवीजन बेंच ने इतने छोटे हिस्से के कहने पर एक हजार एकड़ से अधिक के पूरे अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। (2010) 10 एस. सी. सी. 43 और ओम प्रकाश मेसर्स में रिपोर्ट किए गए अमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस पहलू पर विचार किया गया है।

बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 6 एस. सी. सी. 1 में सूचित किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने ओम प्रकाश (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा रखा था। यह भी उल्लेखनीय है कि एम. एस. पी. एल. के लिए अधिग्रहित लगभग 110 एकड़ भूमि में से केवल एक भूमि मालिक के पास केवल 4.3 एकड़ भूमि है, जिसने डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की थी। एम. एस. पी. एल. के लिए 110 एकड़ के कुल अधिग्रहण में से 4.34 एकड़ भूमि रखने वाले एक भूमि मालिक के कहने पर पूरे अधिग्रहण को रद्द करना सार्वजनिक नीति और जनहित के खिलाफ होगा। अकेले एम. एस. पी. एल. कुल 1 करोड़ के पर्याप्त निवेश के साथ 292 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। एम. एस. पी. एल. द्वारा लगभग 300 व्यक्तियों को रोजगार भी कथित रूप से दोगुना है। प्रस्ताव में अनुमानित कर्मचारियों की संख्या। इसके अलावा, ए. आई. एस. एल. के 914 एकड़ के अधिग्रहण के मामले में 10 प्रतिशत से कम भूमि मालिकों के एक अंश द्वारा चुनौती दी गई है। ए. आई. एस. एल. की अनुमानित परियोजना लगभग 1 करोड़ रुपये की है और इससे कम से कम एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

47. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि डिवीजन बेंच ने अधिग्रहण को रद्द करने में त्रुटि की है

कार्यवाही। तदनुसार, एम. एस. पी. एल., ए. आई. एस. एल., के. आई. ए. डी. बी. और कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी जाती है।

48. डिवीजन बेंच के दिनांकित 22.03.2012 के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और रिट याचिकाओं को विद्वान द्वारा आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया है।

एकल न्यायाधीश ने 17.03.2009 दिनांकित निर्णय देखा।

डिवीजन बेंच के दिनांक 22.03.2012 के फैसले के आधार पर अन्य अपीलों में आक्षेपित, खारिज किए जाने के योग्य हैं क्योंकि हम पहले ही उक्त निर्णय को रद्द कर चुके हैं। यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि सैयद अहमद मेसर्स बी. एम. एम. इस्पात लिमिटेड के लिए अधिग्रहित कुल भूमि में से 2 प्रतिशत से भी कम भूमि का मालिक था। सैयद अहमद की अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

50. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।
51. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

माम

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन (सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)